



प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ,बिलासपुर

रिट याचिका सेवा सं 1389/2021

- 1 - सूर्यकांत सिन्हा, पिता श्री श्याम लाल सिन्हा, आयु लगभग 30 वर्ष, पद: शिक्षक (स्थानीय निकाय), सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय, कावलनार, ब्लॉक दंतेवाड़ा, जिला दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़।
- 2 - दिनेश कुमार गैवेल, पिता श्री अश्वनी कुमार गैवेल, आयु लगभग 40 वर्ष, पद: शिक्षक (स्थानीय निकाय), सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय, बड़ेगुद्रा, ब्लॉक दंतेवाड़ा, जिला दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़।
- 3 - दिनेश कुमार, पिता श्री दिलीप, आयु लगभग 30 वर्ष, पद: सहायक शिक्षक (स्थानीय निकाय), सरकारी प्राथमिक विद्यालय, पुजारीपारा, जंगमपाल, ब्लॉक कटेकल्याण, जिला दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़।
- 4 - सुश्री काजल निर्मलकर, पिता श्री नंदकुमार निर्मलकर, आयु लगभग 32 वर्ष, पद: व्याख्याता (स्थानीय निकाय), पद: सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय, पोंडुम, ब्लॉक दंतेवाड़ा, जिला दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़।
- 5 - श्रीमती संगीता देशमुख, पति श्री योगेश देशमुख, आयु लगभग 27 वर्ष, पद: सहायक शिक्षिका (स्थानीय निकाय), पद: सरकारी प्राथमिक विद्यालय, तारातीकरापारा बालूद, ब्लॉक दंतेवाड़ा, जिला दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़।
- 6 - श्रीमती ज्योति मांडवी पति श्री विनोद कुमार मांडवी लगभग 33 वर्ष पद सहायक शिक्षक (स्थानीय निकाय), सरकार में तैनात। प्राथमिक विद्यालय आंवराभाटा, ब्लॉक दंतेवाड़ा, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़।
- 7 - श्रीमती ज्योति यादव पति श्री सौरभ यादव, उम्र लगभग 32 वर्ष, व्याख्याता (स्थानीय निकाय), शासकीय कार्यालय में पदस्थ, हायर सेकेंडरी स्कूल बड़ेगुडरा, ब्लॉक कटेकल्याण, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़।
- 8 - श्रीमती ममता कुजूर पति श्री संजय कुमार कुजूर उम्र लगभग 32 वर्ष पोस्ट टीचर (स्थानीय निकाय), शासकीय कार्यालय में पदस्थ, कन्या शिक्षा परिसर, एच.एस. स्कूल दंतेवाड़ा, ब्लॉक दंतेवाड़ा, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़।
- 9 - कलेश्वर साहू पिता श्री शत्रुघ्न साहू उम्र लगभग 34 वर्ष, सहायक अध्यापक (स्थानीय निकाय), शासकीय कार्यालय में पदस्थ, जनपद प्राथमिक विद्यालय बिल्हा, ब्लॉक बिल्हा, जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़।



10 - सूर्यकान्त कौशिक पिता श्री जयकुंअर कौशिक उम्र लगभग 32 वर्ष, सहायक अध्यापक (स्थानीय निकाय), शासकीय कार्यालय में पदस्थ, प्राथमिक विद्यालय केशला, ब्लॉक बिल्हा, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़।

11 - विजय कुमार चौहान पिता श्री तिज राम चौहान, उम्र लगभग 36 वर्ष, पद: सहायक शिक्षक (स्थानीय निकाय), पद: सरकारी कन्या प्राथमिक विद्यालय, सरायपाली, ब्लॉक सरायपाली, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़।

--- याचिकाकर्तागण

**बनाम**

1 - छत्तीसगढ़ राज्य, सचिव के द्वारा , स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़

2- सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़

3- सचिव नगरीय प्रशासन विकास, विभाग मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़।

4 - निदेशक पंचायत तथा ग्रामीण विकास, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर जिला रायपुर छत्तीसगढ़।

-----उत्तरवादीगण

**रिट याचिका सेवा सं 2480/2023**

1 - धरम दास जोशी पिता श्री रमाकांत जोशी, उम्र लगभग 44 वर्ष, सहायक अध्यापक (स्थानीय निकाय), शासकीय कार्यालय में पदस्थ, प्राथमिक शाला, परतापुर, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर छत्तीसगढ़

2 - रमेश कुमार ध्रुव, पिता श्री नंदलाल ध्रुव, उम्र लगभग 41 वर्ष, सहायक अध्यापक , प्राथमिक विद्यालय, मुसरघाट, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर छत्तीसगढ़।

3 - निरंजन लाल साहू पिता श्री केशव साहू, उम्र लगभग 37 वर्ष, पद शिक्षक (स्थानीय निकाय), शासकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, भिंगीदादर, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर छत्तीसगढ़।

4 - मनमोहन कुमार साहू, पुत्र श्री जयलाल साहू, उम्र लगभग 34 वर्ष, पद शिक्षक (स्थानीय निकाय), शासकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, भिंगीदादर, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर छत्तीसगढ़।

5 - दमन लाल चंदेल, पिता स्वर्गीय श्री दयालु राम चंदेल, उम्र लगभग 39 वर्ष, सहायक अध्यापक (स्थानीय निकाय), शासकीय प्राथमिक शाला, परतापुर, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर छत्तीसगढ़।



6 - फगुवा राम भुआर्य, पिता पति राम भुआर्य, उम्र लगभग 38 वर्ष, सहायक अध्यापक (स्थानीय निकाय), शासकीय प्राथमिक विद्यालय, मुसरघाट, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर छत्तीसगढ़।

7 - कमल नारायण ध्रुव, पिता श्री इतवारी राम ध्रुव, आयु लगभग 39 वर्ष, पद: सहायक शिक्षक (स्थानीय निकाय), पद: शासकीय प्राथमिक विद्यालय, पी.वी. 69, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़।

8 - सुश्री रूपा मरकाम, पुत्री श्री भर सिंह मरकाम, आयु लगभग 33 वर्ष, पद: सहायक शिक्षक (स्थानीय निकाय), पद: सरकारी प्राथमिक विद्यालय, हांकर, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़।

9 - नारायण चंद्रवंशी, पिता श्री प्रताप सिंह चंद्रवंशी, आयु लगभग 33 वर्ष, पद: सहायक शिक्षक (स्थानीय निकाय), पद: सरकारी प्राथमिक विद्यालय, नयनारेकी, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़।

10 - अर्चिता ब्रता राय, पिता श्री खगेंद्र नाथ राय, आयु लगभग 39 वर्ष, पद: शिक्षक (स्थानीय निकाय), पद: सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय, पी.वी. 22+23 ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर छत्तीसगढ़।

--- याचिकाकर्तागण

बनाम

1 - छत्तीसगढ़ राज्य सचिव के द्वारा, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर जिला रायपुर छत्तीसगढ़

2 - सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़

3 - संचालक, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़

4 - जिला शिक्षा अधिकारी, जिला उत्तर बस्तर कांकेर छत्तीसगढ़।

--- उत्तरवादीगण

रिट याचिका सेवा सं 2253/2023

1 - हिम्मत सिंह नेताम पिता श्री ठाकुर राम नेताम, 43 वर्ष पद शिक्षक (स्थानीय निकाय), शासकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, छोटे कापसी, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर छत्तियागढ़।



- 2 - श्रवण कुमार अमिला, पिता श्री भिखारी राम अमिला, आयु लगभग 37 वर्ष, पद: सहायक शिक्षक, सरकारी प्राथमिक विद्यालय भिंगिंदर, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़।
- 3 - श्रीमती चित्रखान अमिला, पति श्री श्रवण कुमार अमिला, आयु लगभग 34 वर्ष, पद: सहायक शिक्षक (स्थानीय निकाय), शासकिय प्राथमिक विद्यालय मारोदा, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़।
- 4 - अजीत कुमार मांडवी, पिता छत्रू राम मांडवी, आयु लगभग 33 वर्ष, पद: शिक्षक (स्थानीय निकाय), सरकारी प्राथमिक विद्यालय भिंगिंदर, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़।
- 5 - कालेसिंह जुर्ी, पिता श्री नंद लाल जुर्ी, आयु लगभग 40 वर्ष, पद: प्रधानाध्यापक (स्थानीय निकाय), सरकारी प्राथमिक विद्यालय पी.वी. 27, पारा ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर छत्तीसगढ़।
- 6 - राधेश्याम चंद्रवंशी, पिता श्री दुर्देश राम चंद्रवंशी, आयु लगभग 38 वर्ष, पद: सहायक शिक्षक (स्थानीय निकाय), पद: शासकिय प्राथमिक विद्यालय कुआंपारा, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़।
- 7 - सत्यप्रकाश भार्गव, पिता श्री जनक राम भार्गव, आयु लगभग 35 वर्ष, पद: शिक्षक (स्थानीय निकाय), पद: शासकिय उच्च प्राथमिक विद्यालय कंडाड़ी, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़।
- 8 - रीतिका कावड़े, पति श्री दिलीप कावड़े, आयु लगभग 43 वर्ष, पद: सहायक शिक्षक (स्थानीय निकाय), पद: शासकिय प्राथमिक विद्यालय पी.वी. 75, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़।
- 9 - श्री सुनीता कोरपरिया, पति स्वर्गीय श्री गौतम कोटपरिया, लगभग 35 वर्ष, पद: प्रधानाध्यापक (स्थानीय निकाय), शासकिय प्राथमिक विद्यालय पी.वी. 38, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़।
- 10 - श्री सुलेखा भूरिया, पति श्री अरविंद भूरिया, लगभग 45 वर्ष के प्रधान शिक्षक (स्थानीय निकाय), शासकिय प्राथमिक, स्कूल, पी. वी. 39, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर छत्तीसगढ़।

--- याचिकाकर्तागण

#### बनाम

- 1 - छत्तीसगढ़ राज्य सचिव के द्वारा, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नई रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़।



- 2 - सचिव, पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महंदा भवन, नया रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़।
- 3 - निदेशक, पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़।
- 4 - जिला शिक्षा अधिकारी, जिला उत्तर बस्तर कांकेर छत्तीसगढ़।

--- उत्तरवादीगण

### रिट याचिका सेवा सं 2159/2023

- 1 - श्रीमती बलविंदर कौर, पति श्री राजेंद्र सिंह, आयु लगभग 49 वर्ष, पद: सहायक शिक्षिका (स्थानीय निकाय), पद: शासकिय प्राथमिक विद्यालय, पी.वी. 52, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़।
- 2 - श्रीमती ईश्वरी साहू, पति श्री रेखा दास, आयु लगभग 38 वर्ष, पद: सहायक शिक्षिका (स्थानीय निकाय), पद: शासकिय प्राथमिक विद्यालय, पी.वी. 65, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़।
- 3 - श्रीमती खिलेश्वरी शिवना, पति श्री बुलेंद्र शिवना, आयु लगभग 38 वर्ष, पद: सहायक शिक्षिका (स्थानीय निकाय), पद: शासकिय उच्च विद्यालय संगम, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़।
- 4 - श्रीमती दुलेश्वरी रावटे, पति श्री राजेश रावटे, आयु लगभग 34 वर्ष, पद: स्थानीय निकाय शिक्षिका, शासकिय उच्च प्राथमिक विद्यालय, कक्षा 9+10+11, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़।
- 5 - श्रीमती भोज साहू, पति श्री गजेंद्र कुमार साहू, आयु लगभग 43 वर्ष, पद: स्थानीय निकाय सहायक शिक्षिका, शासकिय प्राथमिक विद्यालय, संगम, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़।
- 6- किरण कश्यप, पिता श्री केदार नाथ कश्यप, आयु लगभग 46 वर्ष, पद: सहायक शिक्षक (स्थानीय निकाय), पद: शासकिय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मातोली, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़।
- 7- तुमेश्वर कुमार, पिता श्री श्याम सुंदर, आयु लगभग 35 वर्ष, पद: सहायक शिक्षक (स्थानीय निकाय), पद: शासकिय प्राथमिक विद्यालय, छिंदतोला, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़।
- 8- गुरुदास बनर्जी, पिता श्री श्यामचरण, आयु लगभग 51 वर्ष, पद: सहायक शिक्षक (स्थानीय निकाय), पद: शासकिय प्राथमिक विद्यालय, पी.वी.30, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़।



9- गोपाल सरकार, पिता स्वर्गीय श्री तापस सरकार, आयु लगभग 52 वर्ष, पद: सहायक शिक्षक (स्थानीय निकाय), पद: शासकिय प्राथमिक विद्यालय, पी.वी.9+10+11, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़।

10 - बलराम उर्वशा, पिता श्री नंदू राम , लगभग 44 वर्ष, पद: सहायक शिक्षक (स्थानीय निकाय), शासकिय प्राथमिक विद्यालय, पी.वी.9+10+11, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़।

11 - अरुण कुमार,पिता श्री शिव प्रसाद , लगभग 36 वर्ष, पद: सहायक शिक्षक (स्थानीय निकाय), शासकिय बालक आश्रम विद्यालय, पकानजोर, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़।

12 - पवन कुमार निषाद, पिता श्री गंगू राम , लगभग 53 वर्ष, पद: सहायक शिक्षक (स्थानीय निकाय), शासकिय प्राथमिक विद्यालय पी.वी.39, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़।

13 - प्रदीप कुमार सिंह,पिता स्वर्गीय श्री रघुनांदन , लगभग 48 वर्ष, पद: सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला (स्थानीय निकाय), शासकिय हाई स्कूल पखांजूर, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़।

--- याचिकाकर्तागण

बनाम

1 - छत्तीसगढ़ राज्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़

2- सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़।

3 - संचालक पंचायत एवं ग्रामीण विकास, मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़।

4 - जिला शिक्षा अधिकारी जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़।

--- उत्तरवादीगण

**रिट याचिका सेवा सं 2498/2023**

1 - अवध राम नागवंशी पिता पुना राम उम्र लगभग 31 वर्ष सहायक अध्यापक (स्थानीय निकाय) शासकीय प्राथमिक पी.वी. 59 ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर छत्तीसगढ़

2 - श्रीमती साहदी नाग झारिया पति श्री राधेश्याम झारिया, उम्र लगभग 52 वर्ष, सहायक अध्यापक (एल.बी.) शासकीय कार्यालय प्राथमिक विद्यालय, पी.वी. 38, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर छत्तीसगढ़



- 3 - श्रीमती श्वेता भोंसले पति श्री विद्या राव भोंसले, उम्र लगभग 41 वर्ष, सहायक अध्यापक (स्थानीय निकाय), शासकीय कार्यालय में पदस्थ। प्राथमिक विद्यालय पी.वी. 38, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर छत्तीसगढ़
- 4 - श्रीमती शशिकला कुंजाम पति श्री चन्द्रशेखर कुंजाम उम्र लगभग 33 वर्ष पोस्ट टीचर (स्थानीय निकाय), शासकीय कार्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रा.वि. 9, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर छत्तीसगढ़
- 5 - श्रीमती राजकुमारी गुरुवर पति स्वर्गीय किशन लाल गुरुवर, उम्र लगभग 58 वर्ष, पोस्ट हेड मास्टर प्राइमरी, शासकीय कार्यालय प्राथमिक विद्यालय मुरावंडी, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर छत्तीसगढ़
- 6 - कुमारी संजू कर पिता श्री स्वपन कर उम्र लगभग 35 वर्ष पद सहायक शिक्षक (स्थानीय निकाय), प्राथमिक विद्यालय पी. वी. 37, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर छत्तीसगढ़
- 7 - श्रीमती खेमेश्वरी राठौर, पति श्री टिकेश्वर राठौर, आयु लगभग 30 वर्ष, पद: शिक्षक (स्थानीय निकाय), पद: शासकिय उच्च प्राथमिक विद्यालय, पाखनजोर, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़
- 8 - सुश्री निर्मल ताराम, पिता श्री समरु राम ताराम, आयु लगभग 45 वर्ष, पद: सहायक शिक्षक (स्थानीय निकाय), पद: शासकिय प्राथमिक विद्यालय, पी.वी. 74, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़
- 9 - मीनाक्षी नाग, पिता श्री गोवर्धन नाग, आयु लगभग 35 वर्ष, पद: सहायक शिक्षक (स्थानीय निकाय), पद: शासकिय प्राथमिक विद्यालय, पी.वी. 28+36, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़
- 10 - श्रीमती गोमती सिन्हा, पति श्री धनंजय कुमार सिन्हा, आयु लगभग 36 वर्ष, पद: सहायक शिक्षक (स्थानीय निकाय), पद: शासकिय प्राथमिक विद्यालय गाँवपारा बड़ेकापसी, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्तागण

**बनाम**

- 1 - छत्तीसगढ़ राज्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर जिला रायपुर छत्तीसगढ़
- 2- सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर जिला रायपुर छत्तीसगढ़
- 3-संचालक पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर जिला रायपुर छत्तीसगढ़
- 4- जिला शिक्षा अधिकारी जिला उत्तर बस्तर कांकेर छत्तीसगढ़



-----उत्तरवादीगण

## रिट याचिका सेवा सं 2491/2023

- 1 - द्वारिका प्रसाद रात्रे, पिता श्री गोपीचंद रात्रे, आयु लगभग 44 वर्ष, पद: व्याख्याता (स्थानीय निकाय), पद: शासकिय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गोंडाहुर, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला - उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़।
- 2 - दिवाकर कौशिक, पिता श्री छोटेलाल कौशिक, आयु लगभग 36 वर्ष, पद: व्याख्याता (स्थानीय निकाय), पद: शासकिय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गोंडाहुर, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला - उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़।
- 3 - कमलेश्वर निषाद, पिता श्री गणेश राम निषाद, आयु लगभग 48 वर्ष, पद: व्याख्याता (स्थानीय निकाय), पद: शासकिय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गोंडाहुर, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला - उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़।
- 4 - विमल कुमार मरकाम, पिता श्री शंभू सिंह मरकाम, आयु लगभग 47 वर्ष, पद: शिक्षक (स्थानीय निकाय), पद: शासकिय उच्च प्राथमिक विद्यालय, गोंडाहुर, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला - उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़।
- 5 - उमेंद्र सिंह चतुर्वेदी, पिता श्री जयसिंह चतुर्वेदी, आयु लगभग 42 वर्ष, पद: व्याख्याता (स्थानीय निकाय), पद: शासकिय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गोंडाहुर, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला - उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़।
- 6 - बरुण कीर्तनिया, पिता श्री अतुल चंद्र कीर्तनिया, आयु लगभग 44 वर्ष, पद: व्याख्याता (स्थानीय निकाय), पद: शासकिय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गोंडाहुर, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला - उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़।
- 7 - कामिनीकांत मंडल, पिता श्री कलाचंद मंडल, आयु लगभग 56 वर्ष, पद: शिक्षक (स्थानीय निकाय), पद: शासकिय उच्च प्राथमिक विद्यालय, गोंडाहुर, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला - उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़।
- 8 - ताहल सिंह सोनबोइर, पिता श्री तुलसी राम सोनबोइर, आयु लगभग 51 वर्ष, पद: सहायक शिक्षक (स्थानीय निकाय), पद: शासकिय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गोंडाहुर, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला - उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़।



9 - मंजुश्री शाह मांडवी, पिता श्री वीरेंद्र साहा मांडवी, आयु लगभग 32 वर्ष, पद: सहायक शिक्षक (स्थानीय निकाय), पद: शासकिय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गोंडाहुर, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला - उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़।

10 - विष्णुपाद बैद्य, पिता श्री सुरेंद्रनाथ, आयु लगभग 38 वर्ष, पद: शिक्षक (स्थानीय निकाय), पद: शासकिय उच्च प्राथमिक विद्यालय, गोंडाहुर, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला - उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़।

11 - डॉ. पूर्वा शर्मा, पति श्री अभय शर्मा, आयु लगभग 42 वर्ष, पद: सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता (स्थानीय निकाय), पद: शासकिय शिक्षा महाविद्यालय, कांकेर, ब्लॉक कांकेर, जिला - उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़।

--- याचिकाकर्तागण

**बनाम**

1- छत्तीसगढ़ राज्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर, जिला-रायपुर छत्तीसगढ़।

2- सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर, जिला रायपुर-छत्तीसगढ़

3- संचालक, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर जिला रायपुर छत्तीसगढ़।

4- जिला शिक्षा अधिकारी, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर छत्तीसगढ़।

--- उत्तरवादीगण

रिट याचिका सेवा सं 6236/2024

श्रीमती हेमलता मांडवी पति श्री सोहनलाल मांडवी लगभग 46 वर्ष पद लेक्चरर (स्थानीय निकाय), शासकिय गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल, सरोना, ब्लॉक नरहरपुर, जिला बास्तर कांकेर (सी. जी.)

--- याचिकाकर्तागण

**बनाम**

1 - छत्तीसगढ़ राज्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)

2- सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)

3 - संचालक पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)

4- जिला शिक्षा अधिकारी जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)



5 - जिला पंचायत जिला उत्तर बस्तर कांकेर, अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी के माध्यम से, जिला पंचायत जिला उत्तर बस्तर कांकेर (सी. जी.)

-----उत्तरवादीगण

**रिट याचिका सेवा सं 2780/2023**

1 - सुंदर लाल साहू, पिता रूपू राम साहू, आयु लगभग 50 वर्ष, पद: व्याख्याता (स्थानीय निकाय), पद: शासकिय उच्च माध्यमिक विद्यालय, विवेकनगर, पी.वी. 89, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़।

2 - खेदु राम साहू, पिता सुरजू साहू, आयु लगभग 40 वर्ष, पद: सहायक शिक्षक (स्थानीय निकाय), पद: शासकिय प्राथमिक विद्यालय, टेकामेटा, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़।

3 - लुकेश्वर कुमार साहू, पति मायाराम साहू, आयु लगभग 42 वर्ष, पद: सहायक शिक्षक (स्थानीय निकाय), पद: शासकिय प्राथमिक विद्यालय, चिचेकट्टा, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़।

4 - चेतन लाल ताराम, पिता नरेंद्र सिंह, आयु लगभग 41 वर्ष, पद: सहायक शिक्षक (स्थानीय निकाय), पद: शासकिय प्राथमिक विद्यालय, सहदोंगरी, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़।

5 - देवाणंद ताराम, पिता रामुराम ताराम, आयु लगभग 40 वर्ष, पद प्रधानाध्यापक (स्थानीय निकाय), शासकिय प्राथमिक विद्यालय पी.वी. 89, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़।

6 - ईश्वरी धुरव, पति भरत धुरव, आयु लगभग 33 वर्ष, पद: सहायक शिक्षक (स्थानीय निकाय), शासकिय प्राथमिक विद्यालय पी.वी. 83, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़।

7 - संत दास, पिता बुध राम, आयु लगभग 40 वर्ष, पद: सहायक शिक्षक (स्थानीय निकाय), शासकिय प्राथमिक विद्यालय भुरभुसी, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़।

8 - अशोक कुमार, पिता गुलल, आयु लगभग 33 वर्ष, पद: सहायक शिक्षक (स्थानीय निकाय), शासकिय प्राथमिक विद्यालय भुरभुसी, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़।

9 - जागृति, पति अशोक कुमार, आयु लगभग 32 वर्ष, पद: सहायक शिक्षक (स्थानीय निकाय), शासकिय प्राथमिक विद्यालय पी.वी. 76, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़।

10-श्रीमती. उर्वशी नाग, पति श्री नीरज नाग, उम्र लगभग 38 वर्ष, पोस्ट टीचर (स्थानीय निकाय), शासकिय प्राथमिक विद्यालय बेलगल, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर छत्तीसगढ़।



- 11 - भरत लाल कटोपरिया पिता श्याम लाल, उम्र लगभग 52 वर्ष, पोस्ट लेक्चरर, (स्थानीय निकाय), शासकिय एच.एस. विद्यालय छोटेबेठिया ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर छत्तीसगढ़।
- 12 - खिलेन्द्र कुमार भुआर्य, पिता धनराम भुआर्य, उम्र लगभग 36 वर्ष, पोस्ट टीचर (स्थानीय निकाय), शासकीय मध्य विद्यालय प्रा.वि. 97 ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर छत्तीसगढ़।
- 13 - इंद्रसेन निषाद पिता अंकालू राम, उम्र लगभग 57 वर्ष, सहायक अध्यापक (स्थानीय निकाय), राजकीय विद्यालय ,प्राथमिक विद्यालय बल्लीगढ़, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर छत्तीसगढ़।
- 14 - लीलाधर प्रसाद सुधाकर, पिता द्वारिका प्रसाद, उम्र लगभग 47 वर्ष, सहायक अध्यापक (स्थानीय निकाय), शासकिय प्राथमिक विद्यालय पी.वी. 85, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर छत्तीसगढ़।
- 15 - हेमंत कुमार नेताम, पिता सखा राम नेताम, पिता 41 वर्ष के पोस्ट हेड मास्टर, (स्थानीय निकाय), शासकिय प्राथमिक विद्यालय पी. वी. 102, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला यू. बी. कांकेर छत्तीसगढ़।

16 - अनीता पटेल, पति अजय पटेल , लगभग 36 वर्ष, पद: प्रधानाध्यापक (स्थानीय निकाय), शासकिय प्राथमिक विद्यालय, बांदे कॉलोनी, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उ बी कांकेर, छत्तीसगढ़।

17 - परमेश्वरी साहू, पति श्री रेणुका रमन साहू की पत्नी, लगभग 33 वर्ष, पद: सहायक शिक्षिका (स्थानीय निकाय), शासकिय प्राथमिक विद्यालय, पी.वी. 76, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उ बी कांकेर, छत्तीसगढ़।

--- याचिकाकर्तागण

#### बनाम

- 1 - छत्तीसगढ़ राज्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर जिला रायपुर छत्तीसगढ़
- 2 - सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, जिला : रायपुर, छत्तीसगढ़
- 3 - संचालक, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर जिला रायपुर छत्तीसगढ़।
- 4- जिला शिक्षा अधिकारी, जिला उत्तर बस्तर कांकेर छत्तीसगढ़।

--- उत्तरवादीगण

#### रिट याचिका सेवा सं 2801/2023

- 1 - सुदर्शन सिंह अहीर, पिता बैजनाथ अहीर, आयु लगभग 50 वर्ष, पद: व्याख्याता (स्थानीय निकाय), पद: शासकिय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बसनवाही, ब्लॉक नरहरपुर, जिला बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़



- 2 - श्रीमती राखी ठाकुर, पति श्री संजय ठाकुर, आयु लगभग 42 वर्ष, पद: व्याख्याता (स्थानीय निकाय), पद: शासकिय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, सरौना, ब्लॉक नरहरपुर, जिला बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़
- 3 - श्रीमती त्रिवेनी भुआर्या, पति श्री अशोक भुआर्या, आयु लगभग 43 वर्ष, पद: व्याख्याता (स्थानीय निकाय), पद: शासकिय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, सरौना, ब्लॉक नरहरपुर, जिला बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़
- 4 - श्रीमती विद्यारेखा नेताम, पति श्री अनिल नेताम, लगभग 31 वर्ष, पद: लेक्चरर, शासकिय गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल, सरौना ब्लॉक, नरहरपुर, जिला- यू. बी., कांकेर, जिला: कांकेर, छत्तीसगढ़
- 5 - सुश्री किरण नाग, पिता स्वर्गीय श्री धनीराम नाग, लगभग 45 वर्ष, पद: व्याख्याता (मध्य), शासकिय उच्च माध्यमिक विद्यालय, थेमा ब्लॉक, नरहरपुर, जिला- यू.बी., कांकेर, छत्तीसगढ़
- 6 - श्रीमती सुमा नेताम, पति श्री मधु कुमार नेताम, लगभग 42 वर्ष, पद: व्याख्याता (एल बी.), शासकिय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सुरही ब्लॉक, नरहरपुर, जिला- यू.बी., कांकेर, छत्तीसगढ़
- 7 - मधु कुमार नेताम, पिता श्री धनू राम नेताम, लगभग 45 वर्ष, पद: व्याख्याता (एल बी.), शासकिय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सुरही ब्लॉक, नरहरपुर, जिला- यू.बी., कांकेर, छत्तीसगढ़
- 8 - फूल चंद कावड़े, पिता श्री राजौ राम कावड़े लगभग 44 वर्ष, पद: व्याख्याता (एल बी.), शासकिय उच्च माध्यमिक विद्यालय, लेंदारा ब्लॉक, नरहरपुर, जिला, उ.बी. कांकेर, छत्तीसगढ़
- 9 - अखिलेश कुमार गंजीर, पिता श्री करकु राम, आयु लगभग 50 वर्ष, पद: व्याख्याता (एल.बी.), पद: शासकिय उच्च माध्यमिक विद्यालय, लेंदारा ब्लॉक, नरहरपुर, जिला, उ.बी. कांकेर, छत्तीसगढ़
- 10 - वेदेश कुमार ठाकुर, पिता श्री कांशी राम ठाकुर, आयु लगभग 44 वर्ष, पद: व्याख्याता (एल.बी.), पद: शासकिय उच्च माध्यमिक विद्यालय, लेंदारा ब्लॉक, नरहरपुर, जिला, उ.बी. कांकेर, छत्तीसगढ़
- 11 - ओमप्रकाश ओट्टी, पिता श्री हीरा लाल ओट्टी, आयु लगभग 52 वर्ष, पद: व्याख्याता (एल.बी.), पद: शासकिय उच्च माध्यमिक विद्यालय, लेंदारा ब्लॉक, नरहरपुर, जिला, उ.बी. कांकेर, छत्तीसगढ़
- 12 - श्रीमती नीता रात्रे, पति श्री लक्ष्मण प्रसाद रात्रे, लगभग 43 वर्ष, पद: लेक्चरर (एल.बी.), शासकिय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सरौना ब्लॉक, नरहरपुर, जिला, कांकेर, छत्तीसगढ़
- 13 - अर्जुन सिंह मांडवी, पिता स्वर्गीय श्री महरू राम मांडवी, लगभग 48 वर्ष, पद: लेक्चरर, शासकिय उच्च माध्यमिक विद्यालय, अभनपुर ब्लॉक, नरहरपुर, जिला, कांकेर, छत्तीसगढ़



### बनाम

- 1 - छत्तीसगढ़ राज्य सचिव स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर रायपुर, छत्तीसगढ़
- 2 - सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, जिला :रायपुर, छत्तीसगढ़
- 3 - संचालक पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, जिला : रायपुर, छत्तीसगढ़
- 4- जिला शिक्षा अधिकारी जिला-उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़

--- उत्तरवादीगण

### रिट याचिका सेवा सं 2490/2023

- 1 - तरुण कुमार दास, पिता जगदीश दास, आयु लगभग 39 वर्ष, पद: शिक्षक (स्थानीय निकाय), पद: शासकिय उच्च प्राथमिक विद्यालय पी.वी. 14, ब्लॉक कोयलिबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़
- 2 - श्रीमती बसंती रावटे, पत्नी श्री टिकम रावटे, आयु लगभग 42 वर्ष, पद: प्रधानाध्यापक (स्थानीय निकाय), पद: शासकिय प्राथमिक विद्यालय पी.वी. 53, ब्लॉक कोयलिबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़
- 3 - मनोज कुमार साई, पिता श्री राम साई, आयु लगभग 37 वर्ष, पद: व्याख्याता (स्थानीय निकाय), पद: शासकिय उच्च शिक्षा विद्यालय मारोदा, ब्लॉक कोयलिबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़
- 4 - रोशनी टिग्गा, पति मदेस्तुस टिग्गा, आयु लगभग 46 वर्ष, पद: व्याख्याता (स्थानीय निकाय), पद: शासकिय उच्च शिक्षा विद्यालय बांदे, ब्लॉक कोयलिबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़
- 5 - हेमलता बघेल, पिता अलदुरम बघेल, आयु लगभग 37 वर्ष, पद: शासकिय प्रधानाध्यापक (स्थानीय निकाय), सरकारी प्राथमिक विद्यालय मिश्रित फार्म, ब्लॉक कोयलिबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़
- 6 - श्रीमती दीपका कौमार्य, पति श्री लिकेश कौमार्य, आयु लगभग 31 वर्ष, पद: सहायक शिक्षिका (स्थानीय निकाय), पद: सरकारी प्राथमिक विद्यालय, पी.वी. 35, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़
- 7 - चिमनलाल कोरेती, पिता श्री प्रभु राम कोरेती, आयु लगभग 36 वर्ष, पद: प्रधानाध्यापक (स्थानीय निकाय), पद: सरकारी प्राथमिक विद्यालय, पी.वी. 19, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़



- 8 - श्रीमती संगीता कोरेती, पति श्री चिमनलाल कोरेती, आयु लगभग 37 वर्ष, पद: शिक्षिका (स्थानीय निकाय), पद: सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय, पी.वी. 26, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़
- 9 - राकेश कुमार चौधरी, पिता श्री बी. एल. चौधरी, आयु लगभग 42 वर्ष, पद: व्याख्याता (स्थानीय निकाय), पद: शासकिय उच्च शिक्षा विद्यालय, पाखनजोर, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़
- 10 - श्रीमती अंजनी मंडल, पति श्री दिनेश मंडल, आयु लगभग 37 वर्ष, पद: उच्च शिक्षा (स्थानीय निकाय), पद: सरकारी प्राथमिक विद्यालय, पी.वी. 14, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़
- 11 - प्रोवाश बागची, पिता श्री निरोद बागची, आयु लगभग 42 वर्ष, पद: व्याख्याता (स्थानीय निकाय), पद: शासकिय उच्च शिक्षा विद्यालय, पाखनजोर, कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़
- 12 - दौराम भोई, पिता श्री रणजीत भोई, आयु लगभग 48 वर्ष, पद: शिक्षक (स्थानीय निकाय), पद: शासकिय मध्य विद्यालय, पी.वी. 112, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़
- 13 - ओमेश्वरी बाई नेताम, पति श्री अमृत कुमार नेताम, आयु लगभग 38 वर्ष, पद सहायक शिक्षक (स्थानीय निकाय), पदस्थ शासकिय प्राथमिक विद्यालय पी.वी. 42, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़
- 14 - सुरेंद्र कुमार सिंह पैकरा, पिता श्री पारस राम पैकरा, आयु लगभग 43 वर्ष, पद व्याख्याता (स्थानीय निकाय), पदस्थ शासकिय उच्च विद्यालय कौदोसलहेभट, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़
- 15 - देवप्रकाश मांडवी, पिता श्री तुलसीराम मांडवी, लगभग 45 वर्ष आयु, पद: व्याख्याता (स्थानीय निकाय), शासकिय उच्च विद्यालय, कौदोसलहेभट, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़
- 16 - सेवक राम कुमेती, पिता श्री रामजी राम कुमेती लगभग 47 वर्ष आयु, पद: व्याख्याता (स्थानीय निकाय), शासकिय उच्च विद्यालय, कौदोसलहेभट, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़
- 17 - उद्धव राम तिग्गा, पिता श्री जगन्नाथ तिग्गा, लगभग 39 वर्ष आयु, पद: व्याख्याता (स्थानीय निकाय), शासकिय उच्च माध्यमिक विद्यालय, अमाकड़ा, ब्लॉक दुर्गुकोंडल, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़
- 18 - कमल किशोर जैन, पिता श्री मदन सिंह जैन, लगभग 36 वर्ष आयु, पद: शिक्षक (स्थानीय निकाय), शासकिय उच्च प्राथमिक विद्यालय पी.वी. 14, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़



19 - सुरेंद्र कुमार ठाकुर, पिता श्री गैंद लाल ठाकुर, आयु लगभग 36 वर्ष, पद: शिक्षक (स्थानीय निकाय), पद: शासकिय उच्च प्राथमिक विद्यालय, घोड़ागाँव, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़।

20 - श्रीमती कुमुदिनी पेनकरा, पति श्री राकेश कुमार पेनकरा, आयु लगभग 36 वर्ष, पद: व्याख्याता (स्थानीय निकाय), पद: शासकिय उच्च विद्यालय, कर्मोती, ब्लॉक भानुप्रतापुर, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़।

21 - हरीश वाइका, पिता श्री रामदयाल वाइका, आयु लगभग 51 वर्ष, पद: व्याख्याता (स्थानीय निकाय), पद: शासकिय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सिकसोद, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़।

--- याचिकाकर्तागण

#### बनाम

1 - छत्तीसगढ़ राज्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर जिला रायपुर

छत्तीसगढ़

2 - सचिव, पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर जिला रायपुर

छत्तीसगढ़।

3 - निदेशक, पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर जिला रायपुर

छत्तीसगढ़।

4 - जिला शिक्षा अधिकारी, जिला उत्तर बस्तर कांकेर छत्तीसगढ़।

--- उत्तरवादीगण

#### रिट याचिका सेवा सं 2260/2023

1 - मुकेश कुमार ध्रुव, पिता स्वर्गीय श्री सुभाष नाथ, लगभग 40 वर्ष, पद: व्याख्याता (स्थानीय निकाय), शासकिय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पाखनजोर ब्लॉक, कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़

2 - मुकुंद राम राणा, पिता श्री आनंदी राम राणा, लगभग 52 वर्ष, पद: व्याख्याता (स्थानीय निकाय), शासकिय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पाखनजोर ब्लॉक, कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़

3 - सूर्यनारायण मरकाम, पिता श्री बीरझू लाल, लगभग 38 वर्ष, पद: व्याख्याता (स्थानीय निकाय), शासकिय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पाखनजोर ब्लॉक, कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़



- 4 - लोमन सिंह भुआर्या, पिता श्री चरण सिंह भुआर्या , लगभग 49 वर्ष, पद: व्याख्याता (स्थानीय निकाय), शासकिय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पाखनजोर ब्लॉक, कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़
- 5 - राजेंद्र कलामे, पिता श्री गंगा राम कलामे, आयु लगभग 40 वर्ष, पद: व्याख्याता (स्थानीय निकाय), पद: शासकिय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पाखनजोर, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला: उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़
- 6 - सौमित्र सरकार, पिता श्री निमाई चंद्र सरकार, आयु लगभग 43 वर्ष, पद: व्याख्याता (स्थानीय निकाय), पद: शासकिय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पाखनजोर, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला: उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़
- 7 - सुनील कुमार घुमरा, पिता श्री केशव लाल, आयु लगभग 45 वर्ष, पद: व्याख्याता (स्थानीय निकाय), पद: शासकिय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पाखनजोर, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर
- 8 - कुमारी सिरिज ध्रुव पिता श्री लखन लाल, उम्र लगभग 39 वर्ष, व्याख्याता (स्थानीय निकाय), शासकिय हायर सेकेंडरी स्कूल पखांजूर, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला यूबी कांकेर छत्तीसगढ़
- 9 - श्रीमती कैकेयी ध्रुव पति श्री विक्रम सिंह ध्रुव, उम्र लगभग 39 वर्ष, व्याख्याता (स्थानीय निकाय), शासकिय हायर सेकेंडरी स्कूल पखांजूर, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर छत्तीसगढ़
- 10 - श्रीमती सुधा बलवीर पति श्री विनय कुमार बलवीर, उम्र लगभग 47 वर्ष, व्याख्याता (स्थानीय निकाय), शासकिय हायर सेकेंडरी स्कूल पखांजूर, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर छत्तीसगढ़
- 11 - गुणेश्वर समरथ पिता श्री पारचंद राम समरथ उम्र लगभग 37 वर्ष पोस्ट टीचर (स्थानीय निकाय), शासकिय उच्च प्राथमिक विद्यालय पखांजूर ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर छत्तीसगढ़
- 12 - कृष्ण दास, पिता स्वर्गीय श्री स्वपन दास , लगभग 35 वर्ष, पद: शिक्षक (स्थानीय निकाय), शासकिय उच्च प्राथमिक विद्यालय, पाखनजोर, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़।
- 13 - रितेश्वर कुमार साहू, पिता श्री जयराम साहू के पुत्र, लगभग 31 वर्ष, पद: सहायक शिक्षक (स्थानीय निकाय), शासकिय प्राथमिक विद्यालय, असेबेड़ा, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़।
- 14 - श्रीमती गोदावरी साहू, पति श्री रितेश्वर कुमार साहू , लगभग 29 वर्ष, पद: सहायक शिक्षक (स्थानीय निकाय), शासकिय प्राथमिक विद्यालय, पी.वी. 88, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़।
- 15 - उमेश कुंजम, पिता श्री कमल चंद कुंजम , लगभग 31 वर्ष, पद: सहायक शिक्षक (स्थानीय निकाय), शासकिय प्राथमिक विद्यालय, धोरकट्टा, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़।
- 16 - रामकृष्ण नाग, पिता श्री जगमोहन नाग , लगभग 30 वर्ष, पद: सहायक शिक्षक (स्थानीय निकाय), शासकिय प्राथमिक विद्यालय पी.वी. 49, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर



- 17 – राधेलाल वर्मा, पिता श्री नीलकंठ वर्मा, आयु लगभग 34 वर्ष, पद: व्याख्याता (स्थानीय निकाय), पद: शासकिय उच्च माध्यमिक विद्यालय, प्रतापपुर, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़।
- 18 – पिलेश्वर कुमार खरे, पिता श्री बालू राम खरे, आयु लगभग 39 वर्ष, पद: शिक्षक (स्थानीय निकाय), पद: शासकिय उच्च प्राथमिक विद्यालय, दुमरकोट, ब्लॉक भानुप्रतापुर, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़।
- 19 – सुरेश कुमार केमरो, पिता श्री राधे श्याम केमरो, आयु लगभग 35 वर्ष, पद: शिक्षक (स्थानीय निकाय), पद: शासकिय उच्च प्राथमिक विद्यालय, पी.वी. 113, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़।
- 20 – कमल सिंह पद्मकर, पिता श्री महेपत सिंह पद्मकर, आयु लगभग 42 वर्ष, पद: शिक्षक (स्थानीय निकाय), पद: शासकिय उच्च प्राथमिक विद्यालय, पी.वी. 52, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़।

--- याचिकाकर्तागण

**बनाम**

- 1 – छत्तीसगढ़ राज्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़
- 2 – सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, जिला :रायपुर, छत्तीसगढ़
- 3 – निदेशक पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर, जिला:रायपुर, छत्तीसगढ़
- 4 – जिला शिक्षा अधिकारी जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़


-----उत्तरवादीगण

**रिट याचिका सेवा सं 3255/2023**

- 1 – श्रीमती आस्था सोनी, पति श्री लोकनाथ सोनी, आयु लगभग 43 वर्ष, पद: शिक्षक (स्थानीय निकाय), पद: शासकिय उच्च माध्यमिक विद्यालय सरौना, ब्लॉक नरहरपुर, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़
- 2 – श्रीमती देवेश्वरी कश्यप, पति श्री नवल किशोर कश्यप, आयु लगभग 44 वर्ष, पद: व्याख्याता (एल. बी), पद: शासकिय उच्च माध्यमिक विद्यालय हलबा, ब्लॉक चरमा, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़



- 3 - श्रीमती सुशीला कोमरे, पति रमेश कोमरे, आयु लगभग 35 वर्ष, पद: व्याख्याता (स्थानीय निकाय), पद: शासकिय उच्च माध्यमिक विद्यालय तलबेड़ा, ब्लॉक अंतागढ़, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़
- 4 - श्रीमती निवेदिता वर्मा, पति श्री पी.सी. वर्मा, आयु लगभग 42 वर्ष, पद: व्याख्याता (स्थानीय निकाय), पद: शासकिय हायर सेकेंडरी स्कूल नथिया नवागांव, ब्लॉक कांकेर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर छत्तीसगढ़
- 5 - श्रीमती सीमा अवस्थी, पति, श्री जीतेन्द्र अवस्थी, उम्र लगभग 53 वर्ष, व्याख्याता (स्थानीय निकाय) के पद पर, शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल खूंटापारा सिंगारभाट, ब्लॉक कांकेर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर छत्तीसगढ़
- 6-जितेन्द्र अवस्थी पिता स्व. श्री उमाकांत अवस्थी, उम्र लगभग 54 वर्ष, व्याख्याता (स्थानीय निकाय) शासकीय कार्यालय हायर सेकेंडरी स्कूल मसुलपानी, ब्लॉक नरहरपुर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर छत्तीसगढ़
- 7 - श्रीमती सुलोचना नरेटी, पति श्री निरंजन कुमार नरेटी, उम्र लगभग 39 वर्ष, व्याख्याता (स्थानीय निकाय) पद पर, शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल सरोना, ब्लॉक नरहरपुर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर छत्तीसगढ़
- 8 - श्रीमती भारती दीवान, पतिश्री एस. के. दीवान, लगभग 55 वर्षीय पोस्ट लेक्चरर (स्थानीय निकाय), सरकार में तैनात। उच्चतर माध्यमिक स्कूल सरोना, ब्लॉक नरहरपुर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर छत्तीसगढ़
- 9 - अनामिका चंद्रवंशी, पिता श्री पी.एस. चंद्रवंशी, आयु लगभग 46 वर्ष, पद: व्याख्याता (स्थानीय निकाय), शासकिय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सरौना, ब्लॉक नरहरपुर, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़
- 10 - हर्षा कश्यप, पिता स्वर्गीय श्री लादुराम कश्यप, आयु लगभग 39 वर्ष, पद: व्याख्याता (स्थानीय निकाय), सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय, सरौना, ब्लॉक नरहरपुर, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़
- 11 - श्रीमती सुरेखा नागवंशी, पति श्री राजेंद्र प्रसाद नागवंशी, उम्र लगभग 33 वर्ष, व्याख्याता (स्थानीय निकाय) पद पर, शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल सरोना, ब्लॉक नरहरपुर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर छत्तीसगढ़
- 12-कविता नेताम पिता श्री कृष्ण कुमार नेताम, उम्र लगभग 32 वर्ष, व्याख्याता (स्थानीय निकाय) के पद पर, शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल शामतरा, ब्लॉक नरहरपुर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर छत्तीसगढ़
- 13 - श्रीमती चित्रलेखा पटेल, पति श्री सूरज प्रकाश पटेल, आयु लगभग 43 वर्ष, पद: व्याख्याता (स्थानीय निकाय), शासकिय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कान्हारपुरी, ब्लॉक कांकेर, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़
- 14 - श्रीमती दुर्गा साहू, पति श्री भीमराम साहू, आयु लगभग 37 वर्ष, पद: व्याख्याता (स्थानीय निकाय), शासकिय उच्च माध्यमिक विद्यालय पटौद, ब्लॉक कांकेर, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़





15 – श्रीमती नीलमणि साहू, पति श्री जगल गुरु स्वामी साहू, आयु लगभग 36 वर्ष, पद: व्याख्याता (स्थानीय निकाय), शासकिय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नथिया नवागाँव, ब्लॉक कांकेर, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्तागण

**बनाम**

- 1 – छत्तीसगढ़ राज्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़
- 2 – सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़
- 3 – संचालक, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़
- 4 – जिला शिक्षा अधिकारी, जिला उत्तर बस्तर कांकेर छत्तीसगढ़

--- उत्तरवादीगण

रिट याचिका सेवा सं 4042/2023

- 1 – परिमल राय, पिता स्वर्गीय श्री हेमंत चंद राय लगभग 50 वर्ष, पद: स्थानीय निकाय शिक्षक, शासकिय उच्च प्राथमिक विद्यालय पी.वी. 8, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छत्तीसगढ़)
- 2 – दिनेश कुमार देहारी पिता श्री शोपसिंह देहारी 50 वर्ष शिक्षक, स्थानीय निकाय, शासकिय उच्च प्राथमिक विद्यालय पी वी15, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (सी. जी.)
- 3 – मनीष कुमार वट्टी पिता श्री आत्मा राम वट्टी 38 स्थानीय निकाय में शिक्षक शासकिय उच्च प्राथमिक विद्यालय पी. वी. 124, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (सी. जी.)
- 4 – राम भुवन वर्मा पिता स्वर्गीय श्री जाति राम वर्मा 45 वर्ष पद हेड मास्टर प्राथमिक, शासकिय प्राथमिक विद्यालय, नवा गोंडाहुर ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (सी. जी.)
- 5 – विश्राम सिंह नेताम पिता श्री संभू राम नेताम 52 वर्ष प्राथमिक विद्यालय, परतप्पुर ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (सी. जी.)
- 6 – निर्मल चंद्र विश्वास पिता श्री शरत चंद्र विश्वास 53 वर्ष पद हेड मास्टर प्राथमिक, शासकिय प्राथमिक विद्यालय, पी. वी. 98, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (सी. जी.)





- 7 - श्रीमती चपला बैरागी,पति श्री परिमल बैरागी , लगभग 48 वर्ष, प्राथमिक प्रधानाध्यापक पद, शासकिय प्राथमिक विद्यालय, चिहारीपारा, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छत्तीसगढ़)
- 8 - श्रीमती सुलोचना वट्टी, पति श्री देवेन्द्र वट्टी , लगभग 38 वर्ष, स्थानीय निकाय व्याख्याता पद, शासकिय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मटोली, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छत्तीसगढ़)
- 9 - एम. नागराजू पिता स्वर्गीय श्री एम. आर. के. शर्मा 35 वर्ष के आयु पद लेक्चरर ऋण निकाय, शासकिय उच्च माध्यमिक विद्यालय मटोली, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिलाउत्तर बस्तर कांकेर (छत्तीसगढ़)
- 10 - कृष्णेन्दु आइच पिता स्वर्गीय श्री जे. सी. आइच लगभग 48 वर्ष पद लेक्चरर ऋण निकाय, शासकिय हायर पिताकेंडरी स्कूल हैंकर, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिलाउत्तर बस्तर कांकेर (छत्तीसगढ़)
- 11 - श्रीमती. विनीता वट्टी पति मनीष कुमार वट्टी लगभग 39 वर्ष, पद लेक्चरर, हायर सेकेंडरी स्कूल, कोडापाखा, ब्लॉक दुर्गुकोंडल, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छत्तीसगढ़)

--- याचिकाकर्तागण

बनाम

- 1 - छत्तीसगढ़ राज्य सचिव स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, जिलारायपुर (छत्तीसगढ़ )
- 2 - सचिव पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर, जिलारायपुर (छत्तीसगढ़ )
- 3 - निदेशक पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर, जिलारायपुर (छत्तीसगढ़ )
- 4 - जिला शिक्षा अधिकारी जिलाउत्तर बस्तर कांकेर (सी. जी.)

--- उत्तरवादीगण

रिट याचिका सेवा सं 4843/2023

- 1 - दिनेश कुमार नाग पिता श्री सालिक राम नाग 52 वर्ष पद शिक्षक (स्थानीय निकाय), शासकिय उच्च प्राथमिक विद्यालय पी. वी. 31 ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिलाउत्तर बस्तर कांकेर (सी. जी.)
- 2 - विशम सिंह दुग्गा,पिता श्री सावंत राम, लगभग 42 वर्ष, पद: शिक्षक (स्थानीय निकाय), शासकिय उच्च प्राथमिक विद्यालय, परतापुर, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छत्तीसगढ़)



- 3 - उमाशंकर कोडोपी, पिता धनीराम , लगभग 41 वर्ष, पद: शिक्षक (स्थानीय निकाय), शासकिय उच्च प्राथमिक विद्यालय, मारोदा, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छत्तीसगढ़)
- 4 - श्रीमती चुनंदा विश्वास पति श्री जतान विश्वास लगभग 48 वर्ष पद टीचर (स्थानीय निकाय) शासकिय उच्च प्राथमिक विद्यालय पी. वी. 39 ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला।जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छत्तीसगढ़)
- 5 - श्रीमती कोविदा नाग पति श्री दिनेश कुमार लगभग 49 वर्ष पद टीचर (स्थानीय निकाय) शासकिय उच्च प्राथमिक विद्यालय पी. वी. 116 ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिलाजिला उत्तर बस्तर कांकेर (छत्तीसगढ़)
- 6 - श्रीमती भुनेश्वरी बैद्य पिता श्री हेमंत बैद्य 49 वर्ष पद टीचर (स्थानीय निकाय), शासकिय उच्च प्राथमिक विद्यालय पी. वी. 39 ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिलाजिला उत्तर बस्तर कांकेर (छत्तीसगढ़)
- 7 - श्रीमती. जनकदुलारी देहारी पिता श्री बिहारीलाल देहारी लगभग 46 वर्ष पद टीचर (स्थानीय निकाय) शासकिय मिडिल स्कूल पी. वी. 27, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिलाजिला उत्तर बस्तर कांकेर (छत्तीसगढ़)
- 8 - श्रीमती सुमित्र कावाची पति श्री राकेश कावाची लगभग 49 वर्ष पद लेक्चरर (स्थानीय निकाय) शासकिय हाई स्कूल चांदीपुर, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिलाजिला उत्तर बस्तर कांकेर (छत्तीसगढ़)
- 9 - पीयूष मंडल पिता श्री महाराज मंडल 50 वर्ष पद लेक्चरर (स्थानीय निकाय), शासकिय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मटोली, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिलाजिला उत्तर बस्तर कांकेर (छत्तीसगढ़)
- 10 - शशि लाल नाग पिता श्री देवपिता नाग लगभग 55 वर्ष पद हेड मास्टर प्राथमिक, शासकिय प्राथमिक विद्यालय छिंदटोला, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला।जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छत्तीसगढ़)

--- याचिकाकर्तागण

बनाम

- 1 - छत्तीसगढ़ राज्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़ )
- 2- सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर, जिला. रायपुर(छत्तीसगढ़)
- 3 - संचालक पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)
- 4 - जिला शिक्षा अधिकारी जिलाउत्तर बस्तर कांकेर (सी.जी.)

-----उत्तरवादीगण



### रिट याचिका सेवा सं 4910/2023

- 1 - गणेश ढाली पिताश्री दिलीप ढाली, आयु लगभग 49 वर्ष, पद: व्याख्याता (स्थानीय निकाय), शासकिय उच्च विद्यालय, पी.वी. 32 ब्लॉक, कोयलीबेड़ा, जिला - उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़।
- 2 - चेतन सिंह बघेल, पिताश्री सांवाल, लगभग 51 वर्षीय पद लेक्चरर (स्थानीय निकाय), शासकिय हाई स्कूल प्रतापपुर ब्लॉक-कोयलीबेड़ा, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़
- 3 - परबित कुमार बघेल, पिताअनन्तराम, लगभग 47 वर्षीय पद लेक्चरर (स्थानीय निकाय), शासकिय हाई स्कूल बड़ेझडकट्टा, ब्लॉक-कोयलीबेड़ा, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़
- 4 - प्रणब कुमार कृतिकानिया, पितास्वर्गीय श्री नानीगोपाल, लगभग 50 वर्षीय पद लेक्चरर (स्थानीय निकाय), शासकिय हाई स्कूल पी. वी. 32 ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़
- 5 - फुलचंद टेटा, पितास्वर्गीय श्री भागवत टेटा, लगभग 39 वर्ष, शासकिय उच्च प्राथमिक विद्यालय पी. वी. 02, ब्लॉक-कोयलीबेड़ा, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़
- 6 - श्यामल बाला, पिताश्री शांतिरंजन, 56 वर्ष शासकिय उच्च प्राथमिक विद्यालय पी. वी. 80, ब्लॉक-कोयलीबेड़ा, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़
- 7 - जयराम दीवान, पिताश्री नादगुराम, 52 वर्ष शासकिय उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रतापपुर ब्लॉक-कोयलीबेड़ा, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़
- 8 - गौरांग बिस्वास, पिताश्री गोपाल बिस्वास, आयु लगभग 55 वर्ष, पद: शिक्षक (स्थानीय निकाय), पद: शासकिय उच्च प्राथमिक विद्यालय पी.बी. 43, ब्लॉक - कोयलीबेड़ा, जिला - उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़।
- 9 - महाज्योति मंडल, पिता:श्री जतिन, आयु लगभग 52 वर्ष, पद: प्रधानाध्यापक (स्थानीय निकाय), पद: शासकिय प्राथमिक विद्यालय पी.वी. 77, ब्लॉक - कोयलीबेड़ा, जिला - उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़।
- 10 - अशोक कुमार यादव, पिता:श्री लक्ष्मण सिंह, आयु लगभग 42 वर्ष, पद: सहायक शिक्षक (स्थानीय निकाय), पद: शासकिय प्राथमिक विद्यालय मसानकट्टा, ब्लॉक - कोयलीबेड़ा, जिला - उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़।

--- याचिकाकर्तागण

बनाम



- 1 – छत्तीसगढ़ राज्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, जिला – रायपुर, छत्तीसगढ़
- 2– सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, जिला–रायपुर, छत्तीसगढ़।
- 3–संचालक, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, जिला–रायपुर, छत्तीसगढ़।
- 4– जिला शिक्षा अधिकारी, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़।

--- उत्तरवादीगण

### रिट याचिका सेवा सं 4029/2023

- 1 – कृपा सिंधु घरामी पिता स्वर्गीय श्री जदुनाथ लगभग 48 वर्ष पद लेक्चरर, शासकिय हायर सेकेंडरी स्कूल, बांदे, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (सी. जी.)
- 2 – रविंद्र कुमार पारकर, पिता श्री पीतांबर, आयु लगभग 38 वर्ष, पद: स्थानीय निकाय व्याख्याता, शासकिय उच्च माध्यमिक विद्यालय, संगम, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (सीजी.)
- 3 – श्रीमती बिथिका पॉल, पत्नी श्री जयजीवन पॉल, आयु लगभग 50 वर्ष, पद: स्थानीय निकाय व्याख्याता, शासकिय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मारोदा, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (सीजी.)
- 4 – कमल व्यापारी, पिता श्री बलहारी, आयु लगभग 41 वर्ष, पद: स्थानीय निकाय व्याख्याता, शासकिय उच्च प्राथमिक विद्यालय, पी.वी. 88, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (सीजी.)
- 5 – दिनेश कुमार नाग, पिता श्री हरदेव, आयु लगभग 47 वर्ष, पद: स्थानीय निकाय शिक्षक, शासकिय उच्च प्राथमिक विद्यालय, पी.वी. 88, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छत्तीसगढ़)
- 6 – बंसीलाल कोमरे, पिता श्री हिरगु राम, आयु लगभग 48 वर्ष, पद: स्थानीय निकाय शिक्षक, शासकिय उच्च प्राथमिक विद्यालय, पी.वी. 86, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छत्तीसगढ़)
- 7 – उत्तर कुमार बिस्वास, पिता श्री हरिमोहन, आयु लगभग 45 वर्ष, पद: मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक, शासकिय उच्च प्राथमिक विद्यालय, पी.वी. 86, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छत्तीसगढ़)
- 8 – अमल कुमार बराई, पिता श्री अबानी, आयु लगभग 50 वर्ष, प्राथमिक प्रधानाध्यापक पद, शासकिय प्राथमिक विद्यालय, पी.वी.104, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छत्तीसगढ़)



9 - लव कुमार मांडवी, पिता श्री सगुन राम, आयु लगभग 44 वर्ष, प्राथमिक प्रधानाध्यापक पद, शासकिय प्राथमिक विद्यालय, पी.वी.109, ब्लॉक कोयलिबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छत्तीसगढ़)

10 - सुश्री मालिन दास, पिता श्री भागीरथी, लगभग 60 वर्ष, प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाध्यापक, शासकिय प्राथमिक विद्यालय, पी.वी.78, ब्लॉक कोयलिबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर (छत्तीसगढ़)

--- याचिकाकर्तागण

### बनाम

1 - छत्तीसगढ़ राज्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़

2 - सचिव पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, जिला:रायपुर, छत्तीसगढ़

3 - निदेशक पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, जिला:रायपुर, छत्तीसगढ़

4 - जिला शिक्षा अधिकारी जिला उत्तर बस्तर कांकेर (सी. जी.)

--- उत्तरवादीगण

रिट याचिका सेवा सं 2252/2023

1 - सुश्री शांति बिसी, पिता श्री जगदीश प्रसाद बिसी, आयु लगभग 34 वर्ष, पद: सहायक शिक्षिका (स्थानीय निकाय), पद: शासकिय प्राथमिक विद्यालय, नवा गोंडाहुर, ब्लॉक कोयलिबेड़ा, जिला- उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़।

2 - श्रीमती राधिका नेताम, पति श्री गिरवार सिंह नेटल, आयु लगभग 44 वर्ष, पद: प्रधानाध्यापक, पद: शासकिय प्राथमिक विद्यालय कुरुशबोड़ी, ब्लॉक कोयलिबेड़ा, जिला- उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़।

3 - विष्णु प्रसाद नरेती, पिता श्री छत्तर सिंह नरेती, आयु लगभग 42 वर्ष, पद: प्रधानाध्यापक (स्थानीय निकाय), पद: शासकिय प्राथमिक विद्यालय हनफरसी, ब्लॉक कोयलिबेड़ा, जिला- उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़।

4 - जैनसिंह चंद्रवंशी पिता सुरुजभान चंद्रवंशी, उम्र लगभग 37 वर्ष, सहायक शिक्षक (स्थानीय निकाय), शासकीय प्राथमिक विद्यालय पंडरीपानी, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ में पदस्था।



- 5 - अरुण कुमार सिन्हा पिता श्री जागेश्वर राम सिन्हा, उम्र लगभग 38 वर्ष, पोस्ट टीचर (स्थानीय निकाय), उच्च प्राथमिक विद्यालय छोटेबेठिया, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़।
- 6 - दिंकर लाल साहू, पिता श्री केशव राम साहू, आयु लगभग 47 वर्ष, पद: व्याख्याता शिक्षक (स्थानीय निकाय), पद: शासकिय उच्च माध्यमिक विद्यालय, चांदीपुर, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला- उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़।
- 7 - श्याम लाल खरे, पिता श्री खमहान लाल खरे, आयु लगभग 48 वर्ष, पद: सहायक शिक्षक (स्थानीय निकाय), पद: शासकिय प्राथमिक विद्यालय पी.वी. 92, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला- उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़।
- 8 - श्रीमती सुनंदा पति स्वर्गीय श्री रवि कुमार लगभग 39 वर्ष सहायक शिक्षक (स्थानीय निकाय) प्राथमिक विद्यालय पी. वी. 92, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़।
- 9 - अशोक कुमार नेताम पिता श्री प्रभु राम नेताम 38 वर्ष पद सहायक शिक्षक प्राथमिक विद्यालय बेचाघाट, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़।
- 10 - श्रीमती असुंता तिग्गा पति श्री रामप्रसाद तिग्गा लगभग 40 वर्ष पद हेड मास्टर (स्थानीय निकाय), शासकिय प्राथमिक विद्यालय, खांडी, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़।

--- याचिकाकर्तागण

**बनाम**

- 1 - छत्तीसगढ़ राज्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर, जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़
- 2 - सचिव पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर, जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़।
- 3 - निदेशक पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महंदी भवन नया रायपुर, जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़।
- 4 - जिला शिक्षा अधिकारी जिला-उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़।

-----उत्तरवादीगण



- 1 - राधेश्याम वर्मा पिताश्री संतराम, 44 वर्ष, शासकिय उच्च प्राथमिक विद्यालय पी. वी. 101, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर छत्तीसगढ़
- 2 - साधन चंद्र बाला, पिताश्री प्रफुल्ल, 48 वर्ष, शासकिय उच्च प्राथमिक विद्यालय पी. वी. 101, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर छत्तीसगढ़
- 3 - प्रकाश कुमार ध्रुव, पितास्वर्गीय श्री जगदीश, 51 वर्ष, शासकिय उच्च प्राथमिक विद्यालय छिहदारीपारा, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर छत्तीसगढ़
- 4 - स्वपन मंडल, पिताश्री अनिल, 51 वर्ष, शासकिय उच्च प्राथमिक विद्यालय छिहरीपारा, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर छत्तीसगढ़
- 5 - श्रीमती प्रेम ठाकुर, पतिस्वर्गीय श्री इंद्र कुमार, 46 वर्ष शासकिय उच्च प्राथमिक विद्यालय पी. वी. 79 ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर छत्तीसगढ़
- 6 - श्रीमती पद्मा रॉय, पतिश्री डी. एल. रॉय, 48 वर्ष, शासकिय प्राथमिक विद्यालय, पी. वी. 81, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर छत्तीसगढ़
- 7 - लालसु राम पंडा, पिताश्री वक्के राम, लगभग 52 वर्षीय पद हेड मास्टर प्राथमिक, शासकिय उच्च प्राथमिक विद्यालय उलिया, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर छत्तीसगढ़
- 8 - संजय बैराई, पिताश्री फटिक, लगभग 46 वर्षीय पद हेड मास्टर प्राथमिक, शासकिय प्राथमिक विद्यालय पी. वी. 76, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर छत्तीसगढ़
- 9 - समीर बोस, पिताश्री जोतिन, लगभग 46 वर्षीय पद हेड मास्टर प्राथमिक, शासकिय प्राथमिक विद्यालय नागलखंड, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर छत्तीसगढ़
- 10 - अश्विनी कुमार चुरेंद्र, पिताश्री लालू राम, 36 वर्ष शासकिय प्राथमिक विद्यालय पी. वी. 97, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्तागण

#### बनाम

- 1 - छत्तीसगढ़ राज्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़
- 2- सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़।
- 3-संचालक, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़।



4- जिला शिक्षा अधिकारी, जिला उत्तर बस्तर कांकेर छत्तीसगढ़।

--- उत्तरवादीगण

**रिट याचिका सेवा सं 4080/2023**

- 1 - भोला प्रसाद ठाकुर, पिता स्वर्गीय श्री रामनाथ ठाकुर आयु लगभग 53 वर्ष, पद: स्थानीय निकाय व्याख्याता, शासकिय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बैकुंठपुर, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़।
- 2 - श्याममल हलदर, पिता श्री जगदीश हलदर, आयु लगभग 38 वर्ष, पद: स्थानीय निकाय सहायक शिक्षक, शासकिय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मतोली, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़।
- 3 - चित्तरंजन मजूमदार, पिता स्वर्गीय श्री उपेंद्र नाथ, आयु लगभग 56 वर्ष, पद: स्थानीय निकाय शिक्षक, शासकिय उच्च प्राथमिक विद्यालय, पी.वी. 127, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़।
- 4 - अमूल्य बिस्वास, पिता श्री रजनीकांत, आयु लगभग 54 वर्ष, पद: स्थानीय निकाय शिक्षक, शासकिय उच्च प्राथमिक विद्यालय, असेम्बेड़ा ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर
- 5 - श्रीमती पूर्णिमा अधिकारी, पति श्री सुथम अधिकारी, आयु लगभग 55 वर्ष, पद: स्थानीय निकाय शिक्षक, शासकिय उच्च प्राथमिक विद्यालय, पी.वी. 43, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर
- 6 - श्री मनोरंजन सरकार, पिता श्री मुकुंद सरकार, आयु लगभग 46 वर्ष, पद: स्थानीय निकाय शिक्षक, शासकिय उच्च प्राथमिक विद्यालय, पी.वी. 116, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़
- 7 - श्री दीनबंधु सरकार, पिता श्री निरपाद सरकार, आयु लगभग 49 वर्ष, पद: स्थानीय निकाय शिक्षक, शासकिय विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालय, मातोली ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर।
- 8 - तारक दास, पिता श्री अखिल दास, लगभग 45 वर्ष, पद: स्थानीय निकाय शिक्षक, शासकिय उच्च प्राथमिक विद्यालय, पी.वी. 122, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़
- 9 - श्रीमती सुकरी दुग्गा, पति श्री नारायण दुग्गा, लगभग 55 वर्ष, पद: प्राथमिक प्रधानाध्यापक, शासकिय प्राथमिक विद्यालय, पी.वी. 70, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़
- 10 - सुधांशु बिस्वास, पिता श्री नरेंद्र बिस्वास लगभग 46 वर्ष, पद: प्राथमिक प्रधानाध्यापक, शासकिय प्राथमिक विद्यालय, तोदुर, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्तागण

**बनाम**



- 1 – छत्तीसगढ़ राज्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़
- 2 – सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, जिला : रायपुर, छत्तीसगढ़
- 3 – संचालक पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, जिला : रायपुर, छत्तीसगढ़
- 4 – जिला शिक्षा अधिकारी जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़।

--- उत्तरवादीगण

रिट याचिका सेवा सं 2825/2023

- 1 – सुरेंद्र कुमार साहू, पिता श्री राम लाल साहू, आयु लगभग 39 वर्ष, पद: शिक्षक (स्थानीय निकाय), पद: शासकिय उच्च प्राथमिक विद्यालय पी.वी. 62, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़
- 2 – श्रीमती सरिता टोप्पो, पति श्री मनोज टोप्पो, आयु लगभग 44 वर्ष, पद: शिक्षक (स्थानीय निकाय), पद: शासकिय प्राथमिक विद्यालय पी.वी. 131, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़
- 3 – वरुण मिस्त्री, पिता स्वर्गीय श्री किशोर मिस्त्री, लगभग 33 वर्ष, पद: सहायक शिक्षक (स्थानीय निकाय), शासकिय प्राथमिक विद्यालय पी.वी. 18, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़
- 4 – उमा देवी राणा, स्वर्गीय श्री एम.एस. राणा की पुत्री, लगभग 43 वर्ष, पद: सहायक शिक्षक (स्थानीय निकाय), शासकिय प्राथमिक विद्यालय पडेंगा, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़
- 5 – श्रीमती सीमा बिस्वास, पति श्री मिहिर बिस्वास, लगभग 44 वर्ष, पद: सहायक शिक्षक (स्थानीय निकाय), शासकिय प्राथमिक विद्यालय फुरफुंडी, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़
- 6 – मनराखन शोरी, पिता स्वर्गीय श्री दलगंजन सिंह शोरी, लगभग 46 वर्ष, पद: शिक्षक (स्थानीय निकाय), शासकिय उच्च प्राथमिक विद्यालय पी.वी. 113, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़
- 7 – श्रीमती सविता शोरी पति श्री मनराखान शोरी लगभग 46 वर्ष पोस्ट सहायक शिक्षक (स्थानीय निकाय), शासकिय प्राथमिक विद्यालय, पी. वी. 30, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर छत्तीसगढ़
- 8 – श्रीमती सरिता ठाकुर पति श्री चंद्र कुमार ठाकुर लगभग 39 वर्ष पद सहायक शिक्षक (स्थानीय निकाय) शासकिय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बरदा, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर छत्तीसगढ़
- 9 – श्रीमती गीता मरकाम, पति श्री अनिल मरकाम, आयु लगभग 38 वर्ष, पद: शिक्षिका (स्थानीय निकाय), पद: शासकिय उच्च प्राथमिक विद्यालय संगम, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़



10 - श्रीमती राजकुमार एक्का, पति श्री प्रदीप एक्का, आयु लगभग 44 वर्ष, पद: व्याख्याता (स्थानीय निकाय), पद: शासकिय उच्च माध्यमिक विद्यालय बरदा, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्तागण

**बनाम**

- 1-छत्तीसगढ़ राज्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर जिला रायपुर छत्तीसगढ़
- 2 - सचिव पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर जिला रायपुर छत्तीसगढ़
- 3 - निदेशक पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर जिला रायपुर छत्तीसगढ़
- 4 - जिला शिक्षा अधिकारी जिला उत्तर बस्तर कांकेर छत्तीसगढ़

--- उत्तरवादीगण

**रिट याचिका सेवा सं 2140/2023**

- 1 - शंभू साहा पिता श्री शंकर साहा लगभग 38 वर्ष पोस्ट टीचर (स्थानीय निकाय), शासकिय हायर पिताकैडरी स्कूल, माह्यापुर, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़।
- 2 - श्रीमती आरती सेन पति श्री अजय सेन लगभग 48 वर्ष पद लेक्चरर (स्थानीय निकाय), शासकिय उच्च माध्यमिक विद्यालय ऐसेबेड़ा, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़।
- 3 - श्रीमती सीमा पॉल, पति नाबो कल्लाल पॉल, उम्र लगभग 41 वर्ष, पद: व्याख्याता (स्थानीय निकाय), पद: शासकिय उच्च माध्यमिक विद्यालय लखनपुर, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़।
- 4 - श्रीमती उषा सरकार, पति श्री दीपक सरकार, उम्र लगभग 50 वर्ष, पद: शिक्षिका (स्थानीय निकाय), पद: शासकिय उच्च प्राथमिक विद्यालय पी.वी. 26, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़।
- 5 - श्रीमती पूर्णिमा मांडवी, पति श्री देवेन्द्र मांडवी, उम्र लगभग 35 वर्ष, पद: शिक्षिका (स्थानीय निकाय), पद: शासकिय उच्च प्राथमिक विद्यालय पी.वी. 16, कल्याणपुर, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़।
- 6 - श्रीमती कल्पना साहू, पति श्री सूर्यकांत साहू, उम्र लगभग 34 वर्ष, पद: सहायक शिक्षिका (स्थानीय निकाय), पद: शासकिय प्राथमिक विद्यालय पी.वी. 16, कल्याणपुर, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़।





- 7 - विजय लाल कोमा, पिता श्री नचारू राम कोमा, आयु लगभग 42 वर्ष, पद: व्याख्याता (स्थानीय निकाय), पद: शासकिय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पी.वी. 22+23, लखनपुर ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़।
- 8 - बलराम ताराम, पिता स्वर्गीय श्री मोहनलाल ताराम, आयु लगभग 53 वर्ष, पद: व्याख्याता (स्थानीय निकाय), पद: शासकिय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पी.वी. 22+23, लखनपुर ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़।
- 9 - रमेश पॉल, पिता श्री रॉबिन पॉल, आयु लगभग 41 वर्ष, पद: व्याख्याता (स्थानीय निकाय), पद: शासकिय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गोंडाहुर, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़।
- 10 - बीरेंद्र कुमार नेताम, पिता श्री चेत राम नेताम, आयु लगभग 34 वर्ष, पद: शिक्षक (स्थानीय निकाय), पद: शासकिय उच्च प्राथमिक विद्यालय, प्रा.वि. 16, कल्याणपुर, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़।
- 11 - स्वपन मिस्त्री, पिता श्री राजेंद्र मिस्त्री, लगभग 51 वर्ष, पद: शिक्षक (स्थानीय निकाय), शासकिय उच्च प्राथमिक विद्यालय पी.वी. 16, कल्याणपुर, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़।
- 12 - दीपांकर चौधरी, पिता श्री दिलीप चौधरी, लगभग 51 वर्ष, पद: शिक्षक (स्थानीय निकाय), शासकिय उच्च माध्यमिक विद्यालय मायापुर बैकुंठपुर, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़।
- 13 - प्रोबीर कुमार बिस्वास, पिता श्री भोलानंद बिस्वास, लगभग 47 वर्ष, पद: शिक्षक (स्थानीय निकाय), शासकिय उच्च प्राथमिक विद्यालय पी.वी. 21, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़।
- 14 - बादल बिस्वास, पिता श्री प्रफुल्ला बिस्वास, आयु लगभग 40 वर्ष, पद: शिक्षक (स्थानीय निकाय), पद: शासकिय उच्च प्राथमिक विद्यालय पी.वी. 21, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़।
- 15 - शैलेंद्र कुमार पारकर, पिता श्री पीतांबर सिंह पारकर, आयु लगभग 37 वर्ष, पद: शिक्षक (स्थानीय निकाय), पद: शासकिय उच्च प्राथमिक विद्यालय कुरेनार, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़।
- 16 - प्रवीण चंद्र ध्रुव, पिता राम रतन ध्रुव, आयु लगभग 34 वर्ष, पद: सहायक शिक्षक (स्थानीय निकाय), पद: शासकिय प्राथमिक विद्यालय पी.वी. 73, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़।

--- याचिकाकर्तागण

बनाम



- 1 – छत्तीसगढ़ राज्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, मनहादी भवन नया रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़
- 2 – सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, जिला :रायपुर, छत्तीसगढ़
- 3 – निदेशक, पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर, जिला:रायपुर, छत्तीसगढ़
- 4 – जिला शिक्षा अधिकारी, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़।

--- उत्तरवादीगण

### रिट याचिका सेवा सं 3112/2023

- 1 – श्रीमती संगीता कर्मेकर, पति श्री शोभिक कर्मेकर , लगभग 39 वर्ष, पद: व्याख्याता (स्थानीय निकाय), शासकिय माध्यमिक विद्यालय मरकटोला, ब्लॉक चरमा, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़।
- 2 – श्रीमती दीपा नेताम, पति श्री बिरसिंह नेताम, आयु लगभग 36 वर्ष पद लेक्चरर (एल. बी.) शासकिय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अभनपुर, ब्लॉक नरहरपुर, जिलायू बी कांकेर छत्तीसगढ़।
- 3 – श्रीमती ज्योति गजपाल, पति श्री प्रमोद कुमार गजपाल, लगभग 46 वर्ष के पद लेक्चरर (स्थानीय निकाय), शासकिय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुरही, ब्लॉक नरहरपुर, जिलाउत्तर बस्तर कांकेर छत्तीसगढ़।
- 4 – श्रीमती भुनेश्वरी उसेंडी, पति श्री अनिल कुमार उसेंडी, लगभग 40 वर्ष पद लेक्चरर (स्थानीय निकाय) शासकिय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चावंद, ब्लॉक नरहरपुर, जिलायू. बी. कांकेर छत्तीसगढ़।

--- याचिकाकर्तागण

### बनाम

- 1 – छत्तीसगढ़ राज्य, सचिव , स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़।
- 2 – सचिव, पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़।
- 3 – निदेशक, पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़।
- 4 – जिला शिक्षा अधिकारी, जिलाउत्तर बस्तर,कांकेर छत्तीसगढ़।



-----उत्तरवादीगण

## रिट याचिका सेवा सं 3134/2023

- 1 - सुनील कुमार गावड़े, पिता श्री आर. एल. गावड़े, आयु लगभग 36 वर्ष, पद: व्याख्याता (स्थानीय निकाय), पद: सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय, बारवी, ब्लॉक भानुप्रतापुर, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़
- 2 - श्रीमती आशा कुजूर, पति श्री राजकमल कुजूर, आयु लगभग 37 वर्ष, पद: व्याख्याता (स्थानीय निकाय), पद: सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय, बारवी, ब्लॉक भानुप्रतापुर, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़
- 3 - श्रीमती पूजा नरेती, पति श्री तुलसी नरेती, आयु लगभग 34 वर्ष, पद: व्याख्याता (स्थानीय निकाय), पद: सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय, बारवी, ब्लॉक भानुप्रतापुर, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़
- 4 - टीके लाल सिदार, पिता श्री जगत राम सिदार, आयु लगभग 37 वर्ष, पद: व्याख्याता (स्थानीय निकाय), कार्यरत, सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय, पोटगांव, ब्लॉक, कांकेर, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़
- 5 - बीरझू राम कांगे, पिता श्री मोती राम कांगे, आयु लगभग 39 वर्ष, पद: व्याख्याता (स्थानीय निकाय), कार्यरत, सरकारी उच्च विद्यालय, तेलवत, ब्लॉक, कांकेर, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़
- 6 - श्रीमती चंद्रकला वट्टी, पति श्री अल्पेश सिंह वट्टी, आयु लगभग 43 वर्ष, पद: सहायक शिक्षिका (स्थानीय निकाय), कार्यरत, सरकारी प्राथमिक विद्यालय, सिदेसर, ब्लॉक, कांकेर, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़
- 7 - श्रीमती सीमा यदु, पति श्री देवेन्द्र कुमार यदु, लगभग 43 वर्ष, पद: व्याख्याता (स्थानीय निकाय), सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय, कन्हारपुरी, ब्लॉक, कांकेर, जिला- उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़
- 8 - सुश्री भारती ध्रुव, पिता स्वर्गीय श्री नारायण सिंह ध्रुव, लगभग 39 वर्ष के पोस्ट लेक्चरर (स्थानीय निकाय), शासकीय माध्यमिक विद्यालय कन्हारपुरी में पदस्थ, ब्लॉक कांकेर जिला-उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़
- 9-कमलेश कुमार बंजारे पिता श्री कांता प्रसाद बंजारे उम्र लगभग 38 वर्ष पद लेक्चरर (स्थानीय निकाय), शासकीय कार्यालय हायर सेकेंडरी स्कूल भेजा में पदस्थ, ब्लॉक भानुप्रतापुर जिला-उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़
- 10 - श्रीमती सृष्टि देवांगन पति श्री मुकेश देवांगन उम्र लगभग 34 वर्ष सहायक अध्यापक (स्थानीय निकाय) शासकीय प्राथमिक विद्यालय माद्री में पदस्थ, ब्लॉक कांकेर जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़



11 - श्रीमती भारती देवांगन पत्नी श्री खोमेश्वर देवांगन, उम्र लगभग 38 वर्ष, व्याख्याता (स्थानीय निकाय), शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल मुरडोंगरी में पदस्थ, ब्लॉक कांकेर जिला-उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्तागण


**बनाम**

- 1 - छत्तीसगढ़ राज्य सचिव के द्वारा , स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़
- 2 - सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर, जिला : रायपुर, छत्तीसगढ़
- 3 - संचालक पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर, जिला : रायपुर, छत्तीसगढ़
- 4 - जिला शिक्षा अधिकारी जिला-उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़

-----उत्तरवादीगण

**रिट याचिका सेवा सं 3161/2023**

- 1 - हीरामन लाल साहू पिता श्री गैद लाल साहू पिता 46 वर्ष के पद लेक्चरर (स्थानीय निकाय), सरकारी हाई स्कूल चिनोरी में पदस्थ, ब्लॉक चरमा, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़।
- 2 - श्रीमती अनीता मोहिते, पति श्री किशोर मोहिते , लगभग 61 वर्ष, पद: स्थानीय निकाय व्याख्याता, सरकारी उच्च विद्यालय, चिनोरी, ब्लॉक चरमा, जिला - उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़।
- 3 - सुश्री रानू योगी, पिता श्रीमती राजेंद्र नाथ योगी की पुत्री, लगभग 35 वर्ष, पद: स्थानीय निकाय व्याख्याता, सरकारी उच्च विद्यालय, चिनोरी, ब्लॉक चरमा, जिला - उत्तर बस्तर, कांकेर।
- 4 - सुश्री योगिता ओट्टी, पिता श्री उदय सिंह ओट्टी , लगभग 36 वर्ष, पद: स्थानीय निकाय व्याख्याता, सरकारी उच्च विद्यालय, चिनोरी, ब्लॉक चरमा, जिला - उत्तर बस्तर, कांकेर।
- 5 - सुश्री दीपा पटेल, पिता श्री रामजी पटेल, आयु लगभग 37 वर्ष, पद: व्याख्याता (स्थानीय निकाय), सरकारी उच्च विद्यालय, इंद्रप्रस्थ, ब्लॉक कोइलीबेड़ा, जिला - उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़।
- 6 - सुश्री ए. लक्ष्मी, पिता श्री ए. रामाराव, आयु लगभग 37 वर्ष, पद: व्याख्याता (स्थानीय निकाय), सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय, कन्हारपुरी, ब्लॉक कांकेर, जिला - उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़।





- 7 - श्रीमती संध्या कुंजम, पिता श्री कमल नारायण कुंजम, आयु लगभग 35 वर्ष, पद: व्याख्याता (स्थानीय निकाय), सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय, पिधापाल, ब्लॉक कांकेर, जिला - उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़।
- 8 - श्रीमती अमिता सिन्हा, पति स्वर्गीय श्री शशांक सिन्हा, लगभग 37 वर्ष, पद: व्याख्याता (स्थानीय निकाय), सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय, बागोदर, ब्लॉक, कांकेर, जिला - उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़।
- 9 - श्रीमती डेमिन साहू, पति श्री राकेश साहू, लगभग 37 वर्ष, पद: व्याख्याता (स्थानीय निकाय), सरकारी डीआईटीई कांकेर, ब्लॉक, कांकेर, जिला - उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़।

--- याचिकाकर्तागण

**बनाम**

- 1 - छत्तीसगढ़ राज्य सचिव के द्वारा, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़
- 2 - सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़
- 3 - संचालक, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़
- 4 - जिला शिक्षा अधिकारी, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर छत्तीसगढ़।

--- उत्तरवादीगण

रिट याचिका सेवा सं. 2424/2023

- 1 - श्रीमती मंजुबाला कौर, पति श्री मनप्रीत सिंह, आयु लगभग 40 वर्ष, पद: शिक्षिका (स्थानीय निकाय), शासकिय उच्च प्राथमिक विद्यालय, पी.वी.41, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़।
- 2 - तापस समद्वार, पिता श्री तपन समद्वार, आयु लगभग 40 वर्ष, पद: सहायक शिक्षक, शासकिय प्राथमिक विद्यालय, पी.वी.29, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़।
- 3 - सुश्री सरोज सूर्यवंशी, पिता श्री भुवनेश्वर प्रसाद, आयु लगभग 29 वर्ष, पद: शिक्षिका (स्थानीय निकाय), शासकिय उच्च प्राथमिक विद्यालय भिंगीदार, पी.वी.85, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़।
- 4 - श्रीमती मधुमालती ध्रुव, पति श्री राकेश कुमार ध्रुव, लगभग 37 वर्ष, पद: प्रधानाध्यापक (प्राथमिक), शासकिय प्राथमिक विद्यालय, पी.वी.17, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़।



- 5 – श्रीमती ममता दुग्गा, पति श्री विमल दुग्गा , लगभग 34 वर्ष, पद: सहायक शिक्षिका (स्थानीय निकाय), शासकिय प्राथमिक विद्यालय, पी.वी.37, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर।
- 6 – श्रीमती पिकी कर्माकर, पति श्री कमल कर्माकर , लगभग 37 वर्ष, पद: शिक्षिका (स्थानीय निकाय), शासकिय उच्च प्राथमिक विद्यालय, पी.वी.37, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़।
- 7 – सुश्री कविता कुंजम पिता श्री रामसिंह कुंजम 31 वर्ष पोस्ट सहायक शिक्षक (स्थानीय निकाय), शासकिय प्राथमिक स्कूल, पी वी.44 पारा, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर छत्तीसगढ़।
- 8 – सुश्री मालती जूरी, पिता श्री चैत राम जूरी, आयु लगभग 41 वर्ष, पद: व्याख्याता (स्थानीय निकाय), पद: शासकिय उच्च माध्यमिक विद्यालय संगम, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़।
- 9 – सुश्री राजकुमार मांडवी, पिता श्री अकातु राम मांडवी, आयु लगभग 32 वर्ष, पद: शिक्षिका (स्थानीय निकाय), पद: शासकिय उच्च प्राथमिक विद्यालय पी.वी.17, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़।
- 10 – श्रीमती अलका कोस्मा, पति श्री सखा राम कोस्मा, आयु लगभग 33 वर्ष, पद: सहायक शिक्षिका (स्थानीय निकाय), पद: शासकिय प्राथमिक विद्यालय हांकर, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़।

--- याचिकाकर्तागण

**बनाम**

- 1 – छत्तीसगढ़ राज्य सचिव के द्वारा , स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़
- 2 – सचिव पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, जिला:रायपुर, छत्तीसगढ़
- 3 – निदेशक पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, जिला:रायपुर, छत्तीसगढ़
- 4 – जिला शिक्षा अधिकारी जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़

--- उत्तरवादीगण

**रिट याचिका सेवा सं 2470/2023**

- 1 – राजेंद्र कुमार रावटे, पिता पुनीत राम रावटे, आयु लगभग 41 वर्ष, स्थानीय निकाय प्रमुख, शासकिय प्राथमिक विद्यालय, सरपंच पारा, चिंदपाल, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर (छत्तीसगढ़)



2 – श्रीमती. साधना शोरी, पति श्री सादेसिंह शोरी, आयु लगभग 39 वर्ष, पद हेड मास्टर (एल. बी.) प्राथमिक विद्यालय, छिंदपाल, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर (सी. जी.)

3 – मधुकला ठाकुर, पिता।लगभग 38 वर्ष आयु के देवेंद्र कुमार ठाकुर, पोस्ट एच. एम. (स्थानीय निकाय), प्राथमिक विद्यालय, बाडेपारा, बडगांव, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर (सी. जी.)

--- याचिकाकर्तागण

**बनाम**

- 1 – छत्तीसगढ़ राज्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर जिला रायपुर छत्तीसगढ़
- 2 – सचिव पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महंती भवन नया रायपुर जिला रायपुर छत्तीसगढ़
- 3-निदेशक पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर जिला रायपुर छत्तीसगढ़
- 4 – जिला शिक्षा अधिकारी जिला उत्तर बस्तर कांकेर छत्तीसगढ़

----उत्तरवादीगण

**रिट याचिका सेवा सं 2779/2023**

- 1 – सतीश कुमार साहू पिता श्री नाथू राम साहू 47 वर्ष शिक्षक (स्थानीय निकाय), उच्च प्राथमिक विद्यालय देवड़ी बालाजी, ब्लॉक नरहरपुर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़।
- 2 – अनिल कुमार टेटा पिता श्री श्याम सिंह टेटा 49 वर्ष शिक्षक (स्थानीय निकाय), उच्च प्राथमिक विद्यालय अभनपुर, ब्लॉक नरहरपुर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़।
- 3 – श्रीमती हेमलता बैरागी पति श्री निर्मल कांत बैरागी लगभग 43 वर्ष, शिक्षक (स्थानीय निकाय), सरकारी में तैनात। उच्च प्राथमिक विद्यालय चावंद, ब्लॉक नरहरपुर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़।
- 4 – युधिष्ठिर साहू पिता स्वर्गीय श्री थानसिंह साहू उम्र लगभग 52 वर्ष पोस्ट टीचर (स्थानीय निकाय), शासकीय कार्यालय में पदस्थ। उच्च प्राथमिक विद्यालय बासनवाही, ब्लॉक नरहरपुर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़।
- 5 – अंगत लाल चक्रधारी पिता श्री जीवन राम चक्रधारी, उम्र लगभग 48 वर्ष, पोस्ट हेड मास्टर (मिडिल), शासकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मुसुरपुड़ा, ब्लॉक नरहरपुर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़।
- 6 – चंदन सिंह मंडावी पिता श्री भिखारी राम मंडावी, उम्र लगभग 39 वर्ष, सहायक शिक्षक (स्थानीय निकाय), शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल लेंदरा, ब्लॉक नरहरपुर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़।





- 6 - चंदन सिंह मांडवी पिता श्री भिखारी राम मांडवी पिता 39 वर्ष के पद सहायक शिक्षक (स्थानीय निकाय), उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लेंडारा, ब्लॉक नरहरपुर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़।
- 7 - श्रीमती उत्पला साहू पति श्री सतीश कुमार साहू लगभग 39 वर्ष सहायक शिक्षक, (स्थानीय निकाय), सरकारी प्राथमिक विद्यालय दलदली, ब्लॉक नरहरपुर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़।
- 8 - श्रीमती पुष्पलता दारो पति श्री प्रिंसिपल पाल सिंह दारो लगभग 37 वर्ष लेक्चरर (स्थानीय निकाय), उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सरोना, ब्लॉक नरहरपुर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़।
- 9 - श्रीमती रूपा कृष्ण पति श्री ओमप्रकाश कृष्ण लगभग 40 वर्ष सहायक शिक्षक (स्थानीय निकाय), उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सरोना, ब्लॉक नरहरपुर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़।
- 10 - श्रीमती किरण मरकाम पति श्री गोपीनाथ मरकाम लगभग 42 वर्ष लेक्चरर (स्थानीय निकाय), सरकारी गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल सरोना, ब्लॉक नरहरपुर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़।
- 11 - गोपीनाथ मरकाम पिता जोधा राम मरकाम 39 वर्ष, पोस्ट टीचर (स्थानीय निकाय), उच्च प्राथमिक विद्यालय सरोना, ब्लॉक नरहरपुर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़।

-----याचिकाकर्तागण

बनाम

- 1 - छत्तीसगढ़ राज्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़
- 2 - सचिव पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, जिला:रायपुर, छत्तीसगढ़
- 3 - निदेशक पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, जिला:रायपुर, छत्तीसगढ़
- 4 - जिला शिक्षा अधिकारी जिला-उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़।

-----उत्तरवादीगण

(वाद कारण प्रकरण सूचना प्रणाली से लिया गया है)



याचिकाकर्तागण हेतु : श्री पराग कोटेचा, अधिवक्ता  
राज्य/उत्तरवादीगण हेतु श्री राहुल तामस्कर, सरकारी वकील ने श्री  
दशरथ प्रजापति, पैनल अधिवक्ता

माननीय श्री अमितेंद्र किशोर प्रसाद, न्यायाधीश

पीठ पर आदेश

28.11.2025

1. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री पराग कोटेचा और राज्य/उत्तरवादी की ओर से उपस्थित विद्वान शासकिय अधिवक्ता श्री राहुल तामास्कर, जिनके साथ पैनल अधिवक्ता श्री दशरथ प्रजापति भी उपस्थित थे, तथा उनके तर्क सुने गये।

2. चूंकि इन सभी रिट याचिकाओं में तथ्य तथा विधि के समान प्रश्न उठाए गए हैं, इसलिए इन्हें एक साथ जोड़ने का आदेश दिया गया है। तदनुसार, पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं की सहमति से, मामलों की सुनवाई समरूप रूप से की गई और कार्यवाही की बहुलता से बचने और संबंधित मुद्दों के निर्णय में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए इस सामान्य आदेश द्वारा उनका निराकरण किया जा रहा है।

3. वर्तमान रिट याचिकाओं के सभी याचिकाकर्ता उत्तरवादी को दिनांक 23.07.2020 के आदेश के आधार पर विद्यालय शिक्षा विभाग में उनके समायोजन के लिए उनके मामलों पर विचार करने का निर्देश देने की मांग करते हैं। उनका तर्क है कि दो वर्ष की सेवा पूरी होने पर, वे पंचायत के शिक्षा कर्मियों और स्थानीय निकाय शिक्षकों की तरह ही सभी परिणामी लाभों सहित स्थायीकरण के हकदार हैं, जिन्हें 01.11.2020 से विद्यालय शिक्षा विभाग में स्थायी किया गया था।

4. सुगम निर्णय हेतु, याचिका संख्या 1389/2021 को मुख्य मामला माना जाता है, क्योंकि सभी याचिकाओं में मांगा गया अनुतोष समान प्रकृति की हैं। तदनुसार, याचिका संख्या 1389/2021 में मांगा गया अनुतोष को संपूर्ण याचिका में मांगा गया अनुतोष का प्रतिनिधित्व माना जाता है, और उन्हीं पर यहां विचार किया जा रहा है, जो इस प्रकार हैं: --

“i. माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि याचिकाकर्ता को शिक्षा विभाग में भी शामिल किया जा सकता है। नियुक्ति की प्रारंभिक तिथि से समस्त परिणामी लाभों के साथ, 2 वर्ष की सेवाओं के पूरा होने पर तुरंत,

ii. कोई भी अन्य अनुतोष जिसे माननीय न्यायालय प्रकरण के तथ्यों तथा परिस्थितियों के तहत उचित तथा उचित समझता है, याचिकाकर्ता के पक्ष में भी पारित की जा सकती है तथा याचिका का खर्च याचिकाकर्ता के पक्ष में दिया जा सकता है।”



5. तथ्यों से ज्ञात होता है कि याचिकाकर्ताओं को शुरू में शिक्षा कर्मी ग्रेड-III [अब सहायक शिक्षक (पंचायत) के रूप में फिर से नामित किया गया है], शिक्षा कर्मी ग्रेड-II [अब शिक्षक (पंचायत)] तथा शिक्षा कर्मी ग्रेड-I [अब व्याख्याता (पंचायत)] के रूप में अलग-अलग वर्ष में क्रमशः 2010, 2012, 2013 तथा 2016 में नियुक्त किया गया था। दिनांक 1 के आदेश के अनुसार, पंचायत विभाग या स्थानीय निकायों में आठ वर्ष की सेवा पूरी करने वाले याचिकाकर्ताओं की सेवाओं को स्कूल शिक्षा विभाग में शामिल किया गया। इस तरह के अवशोषण पर, उनके नामकरण में बदलाव आया। पंचायत/नगर निगम/स्थानीय निकायों से लिए गए शिक्षकों को "शिक्षक (स्थानीय निकाय)" के रूप में फिर से नामित किया गया। इसी तरह, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित स्कूलों में काम करने वाले शिक्षकों को "शिक्षक (ई-एल. बी.)" के रूप में फिर से नामित किया गया तथा "टी" श्रेणी में काम करने वालों का नाम बदलकर "शिक्षक (टी-एल. बी.)" कर दिया गया। संशोधित नामकरणों के अनुरूप अलग कैडर भी बनाए गए थे। उन्हें 50 से 7 वें वेतन आयोग के लाभ दिए गए थे। 01.07.2018, समय-समय पर अन्य परिणामी सेवा लाभों के साथ। इसमें विशेष रूप से यह प्रावधान किया गया था कि वेतन निर्धारण और अन्य सेवा संबंधी लाभों के निर्धारण के लिए 01.07.2018 की तिथि को कट-ऑफ तिथि माना जाएगा।

6. यह भी निर्धारित किया गया था कि शिक्षक 01.07.2018 से पूर्व की किसी भी अवधि के लिए बकाया राशि का दावा करने के पात्र नहीं होंगे। स्थानीय निकाय कैडर के अंतर्गत समाहित किए गए शिक्षकों को भी नई पेंशन योजना के अधीन किया गया था। दिनांक 30.06.2018 के आदेश में उल्लिखित इन शर्तों के साथ, वर्तमान याचिकाकर्ताओं सहित ऐसे सभी शिक्षकों की सेवाएं विद्यालय शिक्षा विभाग में समाहित कर ली गईं। यह भी निर्विवाद है कि याचिकाकर्ताओं के साथ-साथ समान परिस्थितियों वाले वे शिक्षक जिन्होंने इस न्यायालय का रुख नहीं किया है, उक्त शर्तों और नियमों के तहत अपनी नियुक्ति के लिए सहमत थे।

7. याचिकाकर्ताओं का आगे दावा है कि नियुक्ति के बाद भी वे विद्यालय शिक्षा विभाग के अधीन कार्य करते रहे और इस संबंध में उन्हें कोई शिकायत नहीं थी। हालांकि, इसके बाद, स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त सचिव ने 23.07.2020 को एक आदेश जारी किया, जिसमें यह निर्देश दिया गया कि पंचायत/स्थानीय निकाय कैडर के शेष लगभग 16,278 शिक्षकों को दो वर्ष की सेवा पूरी होने पर 01.11.2020 से समायोजित कर लिया जाएगा। आगे यह निर्देश दिया गया कि अन्य शिक्षक जिन्होंने आठ वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, उन्हें भी 01.11.2020 से समायोजित किया जाएगा। अन्य सेवा शर्तें दिनांक 30.06.2018 के पूर्व आदेश द्वारा शासित रहेंगी।

8. याचिकाकर्ताओं की शिकायत, जैसा कि उनकी याचिकाओं से स्पष्ट है, यह है कि जहाँ उन्हें केवल आठ वर्ष की सेवा पूरी करने पर ही समायोजित किया गया, वहीं शिक्षकों का एक अलग वर्ग, जिन्होंने पंचायत/स्थानीय निकायों में केवल दो वर्ष की सेवा पूरी की थी, उन्हें दिनांक 23.07.2020 के आदेश के तहत समायोजित कर लिया गया और परिणामस्वरूप उन्हें 7 वें वेतन आयोग के लाभ और आठ वर्ष की सेवा पूरी करने वालों के समान अन्य लाभ दिए गए। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, इससे एक असंगत और भेदभावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई है। उनका तर्क है कि दो वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर स्थायीकरण का लाभ सभी शिक्षकों को समान रूप से



दिया जाना चाहिए था, जिनमें वे शिक्षक भी शामिल हैं जिनका स्थायीकरण पहले ही हो चुका है; अन्यथा उन्हें गंभीर असमानता और असमान व्यवहार का सामना करना पड़ रहा है।

9. याचिकाकर्ताओं का आगे तर्क है कि 30.06.2018 के आदेश के तहत पहले स्थायीकरण किए गए शिक्षकों को 23.07.2020 के बाद के आदेश के तहत स्थायीकरण किए गए शिक्षकों के बराबर वेतनमान दिया जाना चाहिए था। यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता, जिनकी नियुक्ति वर्ष 2010, 2012, 2013 और 2016 में हुई थी, 5 वें और 6 वें वेतन आयोग के तहत वेतनमान और वेतनवृद्धि प्राप्त कर रहे थे, और स्थायीकरण के बाद ही वे 7 वें वेतन आयोग के हकदार हुए। इसके विपरीत, दिनांक 23.07.2020 के आदेश के तहत केवल दो वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद समायोजित किए गए शिक्षकों को सीधे 7 वें वेतन आयोग के ढांचे में रखा गया था। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, इससे उन्हें लंबी सेवा और वरिष्ठता के बावजूद पर्याप्त आर्थिक नुकसान होता है, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें अन्यायपूर्ण तरीके से वंचित किया जाता है।

10. याचिकाकर्ताओं का यह भी कहना है कि दिनांक 23.07.2020 का आदेश छत्तीसगढ़ शिक्षक पंचायत समवर्ग सेवा की सामान्य शर्तें नियम, 2018 (संक्षेप में, "2018 के नियम") के विपरीत है, जिसमें यह अनिवार्य है कि नियमों में निहित प्रावधानों से कम अनुकूल तरीके से कोई छूट नहीं दी जाएगी। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, दो वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर शिक्षकों को स्थायी करना, जबकि आठ वर्ष की सेवा के बाद स्थायी किए गए शिक्षकों को समान लाभ से वंचित करना, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है। इसलिए, उनका तर्क है कि वे भी दो वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर स्थायी माने जाने और दिनांक 23.07.2020 के आदेश के तहत स्थायी किए गए शिक्षकों के समान सभी परिणामी लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं।

11. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री पराग कोटेचा ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं ने उत्तरवादी को यह निर्देश देने के लिए वर्तमान रिट याचिका दायर की है कि वे उत्तरवादी संख्या 1 द्वारा जारी दिनांक 23.07.2020 के आदेश का कड़ाई से अनुपालन करते हुए, सेवा के दो वर्ष पूरे होने की तिथि से अवशोषण और सभी परिणामी सेवा-संबंधी लाभों का विस्तार करें।

53. उक्त आदेश में स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है कि पंचायत और नगरीय निकाय कैडर के अंतर्गत नियुक्त सभी शिक्षकों को दो वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर 01.11.2020 से स्कूल शिक्षा विभाग में समाहित कर लिया जाएगा।

12. श्री कोटेचा का निवेदन है कि याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति 2010, 2011, 2013 और 2016 में बहुत पहले ही हो जाने के बावजूद, प्रतिवादियों ने मनमाने ढंग से इन लाभों को देने में देरी की है, जिसके परिणामस्वरूप 2018 में नियुक्त शिक्षकों की तुलना में याचिकाकर्ताओं के साथ अनुचित भेदभाव हुआ है, जिन्हें पहले से ही समान वेतनमान और 7 वें वेतन आयोग की वेतन वृद्धि प्राप्त हो रही है। उनका तर्क है कि इस कार्रवाई से याचिकाकर्ताओं को गंभीर नुकसान हुआ है, जिसमें वरिष्ठता, करियर में उन्नति और सेवा मान्यता का नुकसान शामिल है, जबकि याचिकाकर्ताओं ने निष्ठापूर्वक, ईमानदारी से और सभी जिम्मेदारियों को निभाते



हुए सेवा की है।वे आगे निवेदन करते हैं कि यदि न्यायालय उचित समझे तो याचिकाकर्ता अपने सभी पूर्व मौद्रिक लाभों को छोड़ने के लिए तैयार हैं, और उनकी शिकायत केवल पात्रता तिथि से वरिष्ठता और सही वेतनमान के काल्पनिक निर्धारण से संबंधित है।वह इस बात पर जोर देते हैं कि यह निरंतर अन्याय को रोकने, याचिकाकर्ताओं के भविष्य के पदोन्नति और सेवा अधिकारों की रक्षा करने और समान रूप से कार्यरत अन्य कर्मचारियों के साथ समानता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।

13. श्री कोटेचा का तर्क है कि वर्ष 2018 के नियमों का नियम 6 विद्यालय शिक्षा विभाग में केवल आठ वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर ही स्थायीकरण का प्रावधान करता है, जबकि नियम 14 माननीय राज्यपाल को इन नियमों के अंतर्गत आने वाले किसी भी व्यक्ति के मामले से उचित और न्यायसंगत तरीके से निराकरण का अधिकार देता है, बशर्ते कि ऐसी छूट कर्मचारी के लिए नियमों के प्रावधानों से कम अनुकूल न हो।उनका आगे तर्क है कि दिनांक 23.07.2020 के आदेश द्वारा दी गई छूट याचिकाकर्ताओं के लिए कम अनुकूल है, जिन्होंने स्थायीकरण से पहले पंचायत/नगरी निकाय विभाग में आठ वर्ष की सेवा की थी, जबकि वर्ष 2018 में नियुक्त कर्मचारियों को दो वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर तुरंत स्थायीकरण किया जा रहा है।

14. श्री कोटेचा आगे निवेदन करते हैं कि याचिकाकर्ता दिनांक 23.07.2020 के आदेश को चुनौती नहीं दे रहे हैं, बल्कि वे अपनी इस वैध अपेक्षा को व्यक्त कर रहे हैं कि उनके सेवा अधिकारों को कम से कम सैद्धांतिक रूप से, समायोजन और वरिष्ठता के संबंध में समान रूप से मान्यता दी जाए।उनका निवेदन है कि उत्तरवादी द्वारा याचिकाकर्ताओं को दो वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर तत्काल समायोजन के लिए विचार न करना मनमाना और भेदभावपूर्ण कार्य है, जो समानता और निष्पक्षता के सिद्धांतों के विपरीत है।उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उत्तरवादी को, एक कल्याणकारी राज्य होने के नाते, पंचायत/नगरी निकाय में दो वर्ष की सेवा पूरी होने पर याचिकाकर्ताओं को शिक्षा विभाग में तत्काल शामिल करने के मामले पर विचार करना चाहिए था, ताकि मनमानी भेदभाव को रोका जा सके और उनके सेवा अधिकारों की रक्षा की जा सके।

15. श्री कोटेचा का तर्क है कि याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति सेवा के दो वर्ष पूरे होते ही तुरंत कर दी जानी चाहिए थी, ठीक उसी प्रकार जैसे 23.07.2020 के आदेश के अंतर्गत आने वाले शिक्षकों के लिए की गई है।वे बताते हैं कि 30.06.2018 के पूर्व आदेश के तहत याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति आठ वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद ही की गई थी, जबकि 23.07.2020 के आदेश के अंतर्गत आने वाले शिक्षकों की नियुक्ति दो वर्ष बाद ही की जा रही है और साथ ही उन्हें 7 वें वेतन आयोग के वेतनमान में भी शामिल किया जा रहा है। उनका तर्क है कि यह भेदभावपूर्ण व्यवहार शिक्षकों की इस दूसरी श्रेणी को स्पष्ट रूप से लाभ पहुंचाता है, जिन्हें कम सेवाकाल होने के बावजूद याचिकाकर्ताओं की तुलना में पहले ही उच्च वेतन और लाभ दिए जा रहे हैं।

16. अंत में, श्री कोटेचा का निवेदन है कि ऐसा भेदभावपूर्ण व्यवहार मनमाना, अनुचित और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है, और याचिकाकर्ता समान व्यवहार के हकदार हैं।उनका यह भी निवेदन है कि याचिकाकर्ताओं को भी दो वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर स्थायी नियुक्ति का वही लाभ, साथ ही सभी संबंधित



मौद्रिक और सेवा लाभ, प्रदान किए जाने चाहिए, जो दिनांक 23.07.2020 के आदेश के तहत स्थायी नियुक्त किए गए शिक्षकों को दिए गए हैं। इस प्रकार, उत्तरवादी को यह निर्देश जारी किया जाए कि वे याचिकाकर्ताओं को दो वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर तुरंत विद्यालय शिक्षा विभाग में सांकेतिक रूप से समायोजित करें; अन्य समान रूप से कार्यरत शिक्षकों के साथ समानता सुनिश्चित करते हुए, सभी परिणामी सेवा और वरिष्ठता लाभ प्रदान करें; और संबंधित उत्तरवादी द्वारा आगे किसी भी प्रकार के मनमाने और भेदभावपूर्ण व्यवहार को रोकें।

17. दूसरी ओर, राज्य/प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री राहुल तमास्कर, जिनके साथ विद्वान पैनल अधिवक्ता श्री दशरथ प्रजापति भी उपस्थित थे, ने याचिकाकर्ताओं की ओर से दिए गए तर्कों का विरोध किया और कहा कि याचिकाओं का पूरा आधार ही गलत है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पहले ही 30.06.2018 के अपने नीतिगत निर्णय के माध्यम से पंचायत/स्थानीय निकाय कैडर के सभी शिक्षकों की सेवाओं को आठ वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर ही स्थायी करने का संकल्प लिया था। इसमें विशेष रूप से यह प्रावधान किया गया था कि जो लोग 01.07.2018 को आठ वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हैं, उन्हें उस तिथि से विद्यालय शिक्षा विभाग में समाहित कर लिया जाएगा और उन्हें 7 वें वेतन आयोग के लाभ और सभी परिणामी सेवा हकदारियों का लाभ दिया जाएगा, जिसमें नई पेंशन योजना की प्रयोज्यता भी शामिल है। यह निवेदन किया जाता है कि 2018 की नीति के तहत किया गया समायोजन स्वयं शिक्षा कर्मियों की उस लंबे समय से चली आ रही मांग की परिणति थी, जिसमें वे विद्यालय शिक्षा विभाग के शिक्षकों के समान वेतन की मांग कर रहे थे, क्योंकि वे समान शिक्षण कार्य कर रहे थे, लेकिन उन्हें काफी कम वेतन मिल रहा था। 30.06.2018 की नीति इसी मांग को संबोधित करने के लिए बनाई गई थी, और याचिकाकर्ताओं ने अपने समायोजन की शर्तों और नियमों को स्वेच्छा से स्वीकार किया था।

18. विद्वान अधिवक्ता ने आगे बताया कि इस नीति के तहत, 01.07.2018 तक आठ वर्ष की सेवा पूरी कर चुके सभी शिक्षा कर्मियों के समायोजन की प्रक्रिया शुरू की गई थी। इस प्रक्रिया के दौरान, वेतन निर्धारण, पूर्व सेवा के लिए वार्षिक वेतनवृद्धि प्रदान करने और छठे वेतन आयोग से सातवें वेतन आयोग के वेतनमानों में उचित स्थानांतरण के संबंध में कई व्यावहारिक कठिनाइयाँ सामने आईं। इसलिए, राज्य सरकार से मार्गदर्शन मांगा गया था। इन विवादों को ध्यान में रखते हुए, राज्य ने 13.07.2018 को एक स्पष्टीकरण जारी किया, जिसमें निर्देश दिया गया कि 01.07.2018 तक देय वार्षिक वेतनवृद्धि को पहले छठे वेतन आयोग के तहत निर्धारित वेतन में जोड़ा जाए और उसके बाद सातवें वेतन आयोग के मैट्रिक्स के तहत संशोधित वेतन निर्धारित किया जाए। यह भी बताया गया है कि इस स्पष्टीकरण के अनुसरण में, शिक्षा कर्मी ग्रेड-□, ग्रेड-□□ और ग्रेड-□□□ का वेतन निर्धारण पूरे राज्य में एकसमान रूप से किया गया था। छठे वेतन आयोग के तहत उनका वेतन ग्रेड-□ के लिए 9300-34800 रुपये (ग्रेड पे 4300 रुपये सहित), ग्रेड-□□ के लिए 9300-34800 रुपये (ग्रेड पे 4200 रुपये सहित) और ग्रेड-□□□ के लिए 5200-20200 रुपये (ग्रेड पे 2400 रुपये सहित) निर्धारित किया गया था। इसी प्रकार, सातवें वेतन आयोग के तहत उनका मूल वेतन क्रमशः 38,100 रुपये, 35,400 रुपये और 25,300 रुपये निर्धारित किया गया था।



इस बात को प्रमाणित करने के लिए, राज्य ने संबंधित शिक्षकों की सेवा पुस्तिकाओं के प्रासंगिक पृष्ठों की प्रतियां रिकॉर्ड पर रखी हैं, जिनमें छठे और सातवें दोनों वेतन आयोगों के तहत उनके वेतन निर्धारण को दर्शाया गया है।

19. विद्वान शासकिय अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि दिनांक 23.07.2020 का बाद का आदेश केवल एक बार का प्रशासनिक उपाय था, जिसका उद्देश्य विसंगतियों को दूर करना और पंचायत/स्थानीय निकाय कैंडर के शेष लगभग 16,278 शिक्षकों को एक समान सेवा ढांचे के अंतर्गत लाना था। उक्त आदेश भविष्योन्मुखी प्रकृति का था और इसका उद्देश्य 2018 की नीति के तहत पहले से की गई समायोजन प्रक्रिया को पुनः खोलना, रद्द करना या पूर्वव्यापी रूप से संशोधित करना कभी नहीं था। उन्होंने जोर देकर कहा कि याचिकाकर्ता, पिछली नीति के तहत वैध रूप से समायोजित किए जाने और उससे प्राप्त सभी लाभों को स्वीकार करने के बाद, अब 2020 की नीति का सहारा लेकर अपनी समायोजन तिथि को पुनः निर्धारित करने या बाद में समायोजित किए गए लोगों के साथ समानता का दावा नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा यह भी निवेदन किया जाता है कि शेष लगभग 16,278 पंचायत शिक्षकों के संबंध में एकरूपता बनाए रखने और विसंगतियों से बचने के लिए, राज्य सरकार ने 23.07.2020 को एक नया नीतिगत निर्णय लिया गया। इस निर्णय के अनुसार, 1 नवंबर 2020 तक दो वर्ष की सेवा पूरी कर चुके सभी शिक्षा कर्मियों को विद्यालय शिक्षा विभाग में समायोजित करने का निर्देश दिया गया था। यह स्पष्ट रूप से कहा गया कि इस समायोजन से संबंधित नियम और शर्तें वही रहेंगी जो 30 जून 2018 के आदेश में पहले निर्धारित की गई थीं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सेवा नीति का निर्माण, जिसमें समायोजन के लिए पात्रता शर्तों का निर्धारण, वेतनमानों का निर्धारण और अन्य सेवा लाभों का निर्धारण शामिल है, एक नियोक्ता के रूप में राज्य सरकार के अनन्य अधिकार क्षेत्र में आता है। 30.06.2018 के आदेश के तहत शिक्षा कर्मियों का पूर्व समायोजन और 23.07.2020 के आदेश के तहत बाद का समायोजन, दोनों ही इस नीति के दायरे में आते हैं और प्रशासनिक आवश्यकताओं और सेवा संबंधी अनिवार्यताओं पर आधारित हैं।

20. श्री तमास्कर ने आगे तर्क दिया है कि नीतिगत निर्णयों में न्यायिक हस्तक्षेप अत्यंत सीमित है, और 23.07.2020 का उक्त निर्णय याचिकाकर्ताओं के अधिकारों को किसी भी तरह से प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करता है, जिन्हें 2018 की नीति के तहत पहले ही समायोजित कर लिया गया है और वरिष्ठता और वेतन निर्धारण सहित सभी परिणामी लाभ प्रदान किए गए हैं। उनकी श्रेणी और सेवा स्थिति अप्रभावित रहती है। अतः, जब तक याचिकाकर्ता यह साबित करने में सफल नहीं हो जाते कि नीति मनमानी, भेदभावपूर्ण, तर्कहीन या संवैधानिक आदेशों का उल्लंघन करती है, तब तक न्यायालय को राज्य सरकार के नीतिगत विशेषाधिकार में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उपरोक्त प्रस्तुतियों के समर्थन में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फेडरेशन ऑफ रेलवे ऑफिसर्स एसोसिएशन और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य, (2003) 4 एससीसी 289 के निर्णय पर भरोसा किया गया है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि नीतिगत निर्णयों से संबंधित मामलों में न्यायिक समीक्षा का दायरा स्वाभाविक रूप से सीमित है। सर्वोच्च



न्यायालय ने यह टिप्पणी की कि जब विधि में स्पष्ट रूप से उस उद्देश्य और ढांचे का उल्लेख होता है जिसके भीतर कार्यपालिका को विवेक का प्रयोग करना होता है, तो ऐसे विवेक को असीमित नहीं माना जा सकता है, और न्यायालय आमतौर पर सक्षम प्राधिकारी के विचारों के स्थान पर अपने विचार थोपने से परहेज करेगा, जब तक कि नीति स्पष्ट रूप से मनमानी या असंवैधानिक न हो।

21. अंत में, यह निवेदन किया जाता है कि याचिकाकर्ताओं को दिनांक 30.06.2018 के पूर्ववर्ती अवशोषण आदेश से प्राप्त लाभ पहले ही मिल चुके हैं, और दिनांक 23.07.2020 की अनुवर्ती नीति जारी होने के बाद भी उनकी वरिष्ठता/श्रेणीगत स्थिति यथावत तथा अपरिवर्तित रही है। अतः, याचिकाकर्ता बाद के नीतिगत निर्णय से उत्पन्न किसी भी पूर्वाग्रह या प्रतिकूल नागरिक परिणामों का दावा नहीं कर सकते हैं, न ही वे केवल उन आशंकाओं के आधार पर इसे चुनौती देने की मांग कर सकते हैं जो निराधार और काल्पनिक प्रकृति की हैं। तदनुसार, याचिकाकर्ताओं द्वारा मांगे गये अनुतोष निराधार और किसी ठोस आधार से रहित हैं। चूंकि वे दिनांक 23.07.2020 के बाद के आदेश से किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं हैं, इसलिए रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। परिणामस्वरूप, रिट याचिकाएं खारिज किए जाने योग्य थीं और उन्हें उचित रूप से खारिज कर दिया गया है।

22. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण के तर्क काफी विस्तार से सुनी हैं, जिन्होंने अपने-अपने तर्क विस्तारपूर्वक प्रस्तुत किए हैं। मैंने अभिवेदनों, दस्तावेजों और अभिलेख में दर्ज सभी सामग्रियों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है और वर्तमान रिट याचिकाओं के समूह में उत्पन्न विवाद्यक पर लागू विधिक स्थिति पर विधिवत विचार किया है।

23. अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार ने शिक्षा कर्मियों की लंबे समय से चली आ रही मांगों के जवाब में एक व्यापक नीतिगत निर्णय लिया था, जिसमें उनके समायोजन की मांग भी शामिल थी। इन अभ्यावेदनों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने 30.06.2018 को एक आदेश जारी किया, जिसमें पंचायतों और स्थानीय निकायों के उन शिक्षा कर्मियों के समायोजन का प्रावधान किया गया था जिन्होंने आठ वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर ली थी। उनका समायोजन 01.07.2018 से प्रभावी हुआ और इसके साथ कई शर्तें भी जोड़ी गई थीं। दो सबसे महत्वपूर्ण शर्तें थीं:

(□) उनकी सेवाओं की गणना सभी सेवा संबंधी उद्देश्यों के लिए समायोजन की तिथि, अर्थात् 01.07.2018 से ही की जाएगी; और

□□) वे 7वें वेतन आयोग के लाभों के हकदार केवल 01.07.2018 से ही होंगे। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया कि 01.07.2018 से पहले के किसी भी प्रकार के मौद्रिक लाभ या बकाया राशि देय नहीं होगी और समायोजन के बाद वे नई पेंशन योजना के अंतर्गत आएंगे।

24. याचिकाकर्ताओं ने, पंचायतों और स्थानीय निकायों के अधीन कार्यरत शिक्षा कर्मियों, शिक्षकों और व्याख्याताओं की अन्य श्रेणियों के साथ, उक्त नीति को स्वीकार किया और उस पर अमल किया, बिना किसी



भी प्रकार की शिकायत उठाए, न तो नियुक्ति की शर्तों के संबंध में और न ही लाभ मिलने की तिथि के संबंध में। इस प्रकार, विद्यालय शिक्षा विभाग में उनकी नियुक्ति स्वैच्छिक, सचेत और दिनांक 30.06.2018 के आदेश में निर्धारित शर्तों की पूर्ण जानकारी के साथ हुई थी। इसके बाद, राज्य सरकार ने अपनी एकसमान नीतिगत रूपरेखा को आगे बढ़ाते हुए, 23.07.2020 को एक और आदेश जारी किया, जिसमें पंचायतों और स्थानीय निकायों के उन शिक्षकों को समायोजन लाभ प्रदान किया गया, जिन्होंने दो वर्ष या उससे अधिक की सेवा पूरी कर ली थी। ऐसे शिक्षकों की कुल संख्या 16,278 हो गई। इस नीति का उद्देश्य शिक्षकों की सभी श्रेणियों में एकरूपता, समानता और मानकीकरण प्राप्त करना था। महत्वपूर्ण बात यह है कि उनकी नियुक्ति की शर्तें भी दिनांक 30.06.2018 के पूर्ववर्ती आदेश में निहित शर्तों के समान कर दी गईं।

25. दिनांक 23.07.2020 के बाद के आदेश की सावधानीपूर्वक परीक्षा से ज्ञात होता है कि यह न तो याचिकाकर्ताओं की सेवा शर्तों को प्रभावित करता है और न ही उन्हें किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाता है। इन अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति से उनकी वरिष्ठता, वेतनमान और संबंधित लाभ अप्रभावित रहते हैं। समान शर्तों के तहत शिक्षकों के नए बैचों की नियुक्ति से याचिकाकर्ताओं के पहले से प्राप्त अधिकारों का हनन या उल्लंघन नहीं होता है। 2018 के नियमों का भी कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। इस नीति के निर्माण में मनमानी, भेदभाव या निर्धारित वैधानिक ढांचे से किसी भी प्रकार के विचलन को दर्शाने वाला कोई भी तथ्य अभिलेख में नहीं दिखाया गया है।

26. एक बार जब राज्य सरकार, अपनी कार्यकारी क्षमता में, दो वर्ष की सेवा पूरी कर चुके शिक्षकों को स्थायी नियुक्ति का लाभ देने का सचेत नीतिगत निर्णय ले लेती है, तो ऐसे निर्णय में न्यायिक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, जब तक कि यह मनमाना, दुर्भावनापूर्ण, तर्कहीन या वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन साबित न हो जाए। वर्तमान प्रकरण में, याचिकाकर्ता यह साबित करने में सक्षम नहीं हैं कि विवादित नीति से उन्हें कोई प्रतिकूल नागरिक परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं। केवल दूसरों को लाभ देने वाला कोई नीतिगत निर्णय, जो पहले से लाभान्वित लोगों के साथ कोई भेदभाव नहीं करता है, चुनौती का आधार नहीं हो सकता है।

27. याचिकाकर्ता यह साबित करने में पूरी तरह विफल रहे हैं कि दिनांक 23.07.2020 का नीतिगत निर्णय मनमाना या अतार्किक है। उनकी सेवा शर्तें, लाभ और पदक्रम पूरी तरह अप्रभावित हैं। केवल यह तर्क देना कि अन्य शिक्षकों को कम सेवा अवधि के बाद समान लाभ मिल सकते हैं, याचिकाकर्ताओं को नीति में संशोधन या उसे रद्द करने का कोई वैध अधिकार प्रदान नहीं करता है। न्यायालय ने लगातार यह अभिनिर्धारित किया है कि दूसरों को लाभ देने वाली नीति में केवल इसलिए हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है क्योंकि पहले के लाभार्थियों को लगता है कि इससे उनका सापेक्ष लाभ कम हो रहा है।

28. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नगर परिषद, नीमच बनाम महादेव रियल एस्टेट और अन्य, (2019) 10 एससीसी 738 में, राज्य के नीतिगत निर्णयों के अनन्य क्षेत्र में आने वाले मामलों में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप के दायरे पर विचार करते हुए, निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया है: --



"13. वर्तमान प्रकरण में, युगल पीठ के विद्वान न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि वास्तव में ऐसी स्वीकृति प्रदान की गई थी। हम उक्त तथ्य की सत्यता की परीक्षा बाद में करेंगे। हालाँकि, इससे पहले, हम प्रशासनिक कार्यवाही की न्यायिक पुनर्विलोकन के लिए उच्च न्यायालय की शक्तियों के दायरे की जाँच करना चाहते हैं। यद्यपि, इस न्यायालय के उक्त विवाद्यक पर अनेक निर्णय हैं, फिर भी टाटा सेलुलर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (1994) 6 एससीसी 651 में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि मूलभूत सिद्धांतों को स्थापित करता है जो आज भी सुसंगत हैं। उक्त निर्णय का कंडिका 77 इस प्रकार है: (एससीसी पृष्ठ 677-78)

"77. न्यायालय का कर्तव्य है कि वह वैधता के प्रश्न तक ही सीमित रहना है। उसकी चिंता यह होनी चाहिए:

1. क्या निर्णय लेने वाले प्राधिकरण ने अपनी शक्तियों को पार कर लिया है?
2. विधि की त्रुटि कारित किया गया।
3. प्राकृतिक न्याय के नियमों का उल्लंघन किया है,
4. ऐसा निर्णय लिया है जो कोई भी उचित न्यायाधिकरण नहीं लेता, या
5. अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है।

अतः, किसी विशेष नीति या उस नीति के अनुपालन में लिए गए किसी विशेष निर्णय के निष्पक्ष होने का निर्धारण करना न्यायालय का कार्य नहीं है। न्यायालय का कार्य केवल उन निर्णयों को लेने के तरीके से संबंधित है निष्पक्ष रूप से कार्य करने के कर्तव्य का दायरा प्रत्येक प्रकरण में पृथक होगा। संक्षेप में, प्रशासनिक कार्यवाही को न्यायिक पुनर्विलोकन के दायरे में लाने वाले आधारों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है:

(□) अवैधता: इसका अर्थ है कि निर्णय लेने वाले को अपने निर्णय लेने की शक्ति को नियंत्रित करने वाले विधि को सही ढंग से समझना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए।

(□□) अतार्किकता, अर्थात् वेड्सबरी अतार्किकता।

(□□□) प्रक्रियात्मक अनुचितता।

उपरोक्त केवल व्यापक आधार हैं, लेकिन समय के साथ और आधारों को शामिल करने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता है। वास्तव में, आर. बनाम गृह विभाग के सचिव, पूर्व पी ब्रिंड, (1991) 1 एसी 696 में, लॉर्ड डिप्लोक ने विशेष रूप से एक घटनाक्रम का उल्लेख किया है, अर्थात् आनुपातिकता के सिद्धांत की संभावित मान्यता। इन सभी मामलों में, अपनाई जाने वाली कसौटी यह है कि न्यायालय को यह विचार करना चाहिए कि क्या कोई ऐसी गड़बड़ी हुई है जिसकी प्रकृति और गंभीरता ऐसी है जिसके लिए न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता है। 14. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि प्रशासनिक कार्यवाही की न्यायिक पुनर्विलोकन का दायरा बहुत सीमित है। जब तक न्यायालय इस निष्कर्ष पर न पहुँच जाए कि निर्णयकर्ता ने अपने निर्णय लेने की शक्ति को नियंत्रित करने वाले विधि को सही ढंग से नहीं समझा है, या जब यह पाया जाए कि निर्णयकर्ता का



निर्णय अतार्किकता से ग्रस्त है, और वह भी "वेडनेसबरी अतार्किकता" के सिद्धांत के आधार पर, या जब तक यह न पाया जाए कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में कोई प्रक्रियात्मक अनियमितता हुई है, तब तक उच्च न्यायालय के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करना अनुमेय नहीं होगा। यह भी सर्वविदित है कि न्यायालय के लिए निर्णय की वैधता की जाँच करना अनुमेय नहीं है, बल्कि यह न्यायालय केवल निर्णय लेने की प्रक्रिया की शुद्धता की जाँच कर सकता है।

15. इस न्यायालय ने हाल ही में पश्चिम बंगाल केंद्रीय विद्यालय सेवा आयोग बनाम अब्दुल हलीम (2019) 18 एससीसी 39 के मामले में अनुच्छेद 226 के तहत प्रशासनिक कार्यवाही में हस्तक्षेप के दायरे पर फिर से विचार करने का अवसर प्राप्त किया:

"31. न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग करते हुए न्यायालय को यह देखना होता है कि क्या चुनौती दिए गए निर्णय में विधि की स्पष्ट त्रुटि है। यह निर्धारित करने के लिए कि क्या कोई निर्णय अभिलेख में स्पष्ट त्रुटि से दूषित है, यह परीक्षण किया जाता है कि क्या त्रुटि अभिलेख में स्वतः स्पष्ट है या क्या त्रुटि को सिद्ध करने के लिए जांच या तर्क की आवश्यकता है। यदि किसी त्रुटि को तर्क प्रक्रिया द्वारा सिद्ध करना हो, उन बिंदुओं पर जहां दो मत हो सकते हैं, तो उसे अभिलेख में स्पष्ट त्रुटि नहीं कहा जा सकता, जैसा कि इस न्यायालय ने सत्यनारायण लक्ष्मीनारायण हेगडे बनाम मिलिकार्जुन भवनप्पा तिरुमाले, एआईआर 1960 एससी 137 में कहा है। यदि किसी वैधानिक नियम के प्रावधान की दो या दो से अधिक व्याख्याएँ संभव हों और उनमें से एक व्याख्या को अपनाया गया हो, तो रिट न्यायालय द्वारा निर्णय में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। केवल सुसंगत वैधानिक प्रावधान की स्पष्ट त्रुटिपूर्ण व्याख्या, उसकी अज्ञानता या अवहेलना, या विधि की दृष्टि से स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण कारणों पर आधारित निर्णय ही रिट न्यायालय द्वारा उत्प्रेषण-लेख रिट जारी करके सुधारा जा सकता है। 32. अनुच्छेद 226 के तहत शक्ति का दायरा अनुचित आदेशों को रद्द करने के लिए पर्याप्त व्यापक हो सकता है। यदि कोई निर्णय इतना मनमाना और अविवेकी हो कि कोई भी तर्कसंगत व्यक्ति उस तक नहीं पहुँच सकता है, तो उसे रिट न्यायालय द्वारा रद्द किया जा सकता है। यदि निर्णय अभिलेख में मौजूद सामग्री के आधार पर तर्कसंगत रूप से समर्थित नहीं है, तो उसे अनुचित माना जा सकता है।

33. हालाँकि, न्यायालय की अधिकारियों के आदेश की तर्कसंगतता की जाँच करने की शक्ति न्यायालय को किसी निर्णय के समर्थन में आधारों की पर्याप्तता की जाँच करने या निर्णय के गुण-दोष की जाँच करने में सक्षम नहीं बनाती है, मानो वह निर्णय पर अपील कर रहा हो। परीक्षण इस बात पर आधारित नहीं है कि न्यायालय किसी निर्णय को उचित या अनुचित मानता है, बल्कि उस निर्णय पर आधारित है जिसे न्यायालय के अनुसार कोई भी समझदार व्यक्ति नहीं ले सकता था और जिससे स्पष्ट अन्याय हुआ है। रिट न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करता है, क्योंकि कोई भी निर्णय परिपूर्ण नहीं होता है।"

29. उपरोक्त आधिकारिक सिद्धांतों के आलोक में, दिनांक 23.07.2020 की विवादित नीति की जाँच करने पर यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार ने अपनी कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करते हुए, दो वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर शिक्षकों



की एक नई श्रेणी को स्थायीकरण का लाभ प्रदान करने के लिए एक नीति बनाई है। यह नीति दिनांक 30.06.2018 की पूर्ववर्ती नीति के तहत याचिकाकर्ताओं को पहले से दिए गए किसी भी लाभ को न तो समाप्त करती है और न ही कम करती है। याचिकाकर्ता निर्णय लेने की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अवैधता, प्रक्रियात्मक अनियमितता या वेडनेसबरी की अनुचितता को सिद्ध करने में भी विफल रहे हैं। केवल असंतोष या कथित समानता का दावा, बिना किसी विधिक या निहित अधिकारों के उल्लंघन के, न्यायिक हस्तक्षेप का आधार नहीं बन सकता है।

30. याचिकाकर्ताओं का यह दावा कि वे दो वर्ष की सेवा पूर्ण करने की तिथि से काल्पनिक समायोजन के हकदार हैं, पूरी तरह से निराधार है। याचिकाकर्ताओं ने आठ वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बाद 2018 की नीति के तहत स्वेच्छा से समायोजन स्वीकार किया था, और उनका समायोजन बहुत पहले ही अंतिम रूप ले चुका है। अब वे समायोजन तिथि के पुनर्निर्धारण की मांग करके सेवा शर्तों को फिर से खोलने का प्रयास नहीं कर सकते हैं। सेवा संबंधी न्यायशास्त्र स्पष्ट रूप से कहता है कि एक बार जब कोई कर्मचारी किसी नीति को स्वीकार कर लेता है और बिना किसी आपत्ति के उसके तहत लाभ प्राप्त करता है, तो वह बाद में किसी अन्य नीति के तहत अधिक लाभप्रद व्यवहार की मांग करके उसे स्वीकार और अस्वीकार नहीं कर सकता है। विबंध का सिद्धांत वर्तमान प्रकरण में पूरी तरह से लागू होता है।

31. याचिकाकर्ताओं की यह आशंका कि उन्हें 2020 की नीति के तहत समायोजित किए गए लोगों की तुलना में नुकसान हुआ है, निराधार है। याचिकाकर्ताओं को 7 वें वेतन आयोग के लाभ 01.07.2018 से दिए गए थे, जबकि नव समायोजित शिक्षकों को ये लाभ 01.11.2020 से ही प्राप्त हुए हैं। केवल इस तथ्य से कि कर्मचारियों के एक बाद के समूह के लिए समायोजन हेतु अर्हता सेवा अवधि में छूट दी गई है, याचिकाकर्ताओं के सेवा अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। कर्मचारियों के एक वर्ग के पक्ष में मानदंडों में छूट देने से स्वतः ही दूसरे वर्ग को समान लाभों के पूर्वव्यापी या काल्पनिक विस्तार की मांग करने का अधिकार नहीं मिल जाता है।

32. यह भी सर्वविदित है कि किसी नीति को केवल इसलिए रद्द नहीं किया जा सकता है क्योंकि वह किसी अन्य समूह को रियायतें प्रदान करती है। **हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम राज कुमार (2021) 2 एससीसी 713** मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 14 नकारात्मक समानता की परिकल्पना नहीं करता है, और कोई भी कर्मचारी केवल इसलिए लाभ का दावा नहीं कर सकता क्योंकि किसी अन्य व्यक्ति को छूट या एकमुश्त उपाय के तहत ऐसा लाभ दिया गया है। याचिकाकर्ताओं का दावा स्पष्ट रूप से नकारात्मक समानता के दायरे में आता है, जो विधिक अस्वीकार्य है।

33. इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं द्वारा दो वर्ष की सेवा पूर्ण करने की तिथि से काल्पनिक वरिष्ठता और परिणामी लाभों की मांग निराधार है। वरिष्ठता हमेशा वैधानिक नियमों और किसी विशेष कैडर में सेवा में प्रवेश की तिथि द्वारा निर्धारित होती है। याचिकाकर्ताओं को 2018 की नीति के तहत आठ वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर ही विद्यालय शिक्षा विभाग में शामिल किया गया था। उनकी मांग को समायोजित करने के लिए वरिष्ठता प्रणाली में



बदलाव नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा करने से न केवल 2018 के नियमों का उल्लंघन होगा, बल्कि कैडर में प्रशासनिक और संरचनात्मक विसंगतियां भी उत्पन्न होंगी।

34. दोनों पक्षों की प्रस्तुतियों पर विचार करने, नीतिगत निर्णयों की जांच करने और न्यायिक पुनर्विलोकन के स्थापित सिद्धांतों को लागू करने के बाद, इस न्यायालय को दिनांक 23.07.2020 के नीतिगत निर्णय में कोई मनमानी, भेदभाव, अवैधता या अतार्किकता नहीं मिली। उक्त नीति राज्य सरकार के कार्यकारी विवेक का वैध प्रयोग है और याचिकाकर्ताओं के किसी भी अधिकार का उल्लंघन नहीं करती है।

35. तदनुसार, याचिकाकर्ता दावा किया गया किसी भी अनुतोष के हकदार नहीं हैं। दो वर्ष की सेवा पूर्ण होने की तिथि से काल्पनिक समायोजन, वरिष्ठता का पुनर्निर्धारण, वेतनमान का पुनर्निर्धारण और 2020 की नीति के तहत समायोजित शिक्षकों के साथ समानता की मांग करने वाली प्रार्थनाएँ पूर्णतः निराधार हैं और अस्वीकार किए जाने योग्य हैं।

36. परिणामस्वरूप, सभी रिट याचिकाएं (डब्ल्यूपीएस संख्या 1389/2021, 2480/2023, 2253/2023, 2159/2023, 2498/2023, 2491/2023, 6236/2024, 2780/2023, 2801/2023, 2490/2023, 2260/2023, 3255/2023, 4042/2023, 4843/2023, 4910/2023, 4029/2023, 2252/2023, 4032/2023, 4080/2023, 2825/2023, 2140/2023, 3112/2023, 3134/2023, 3161/2023, 2424/2023, 2470/2023, और 2779/2023) सारहीन होने के कारण, इन्हें एतद्द्वारा खारिज किया जाता है। इस पर कोई वाद व्यय देय का कोई आदेश नहीं होगा।

सही/-

(अमितेंद्र किशोर प्रसाद)

न्यायाधीश



प्राधिकरण के निर्णय से मात्र असंतोष, या समानता का मात्र दावा, अपने आप में न्यायालय के असाधारण क्षेत्राधिकार को लागू करने के लिए पर्याप्त नहीं है। जब तक वादी किसी विधिक या निहित अधिकार के उल्लंघन को साबित नहीं कर देते या निर्णय लेने की प्रक्रिया में मनमानी, भेदभाव या किसी अन्य संवैधानिक खामी को प्रदर्शित नहीं कर देते हैं, तब तक न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। चूंकि न्यायिक पुनर्विलोकन केवल प्रक्रिया की परीक्षा तक सीमित है, न कि निर्णय के गुणों की, इसलिए अवैधता, प्रक्रियात्मक चूक या अतार्किकता की अनुपस्थिति चुनौती को अस्थिर बना देती है।





**(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)**

**अस्वीकरण:** हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

